विश्वेश्वरानन्द संस्थान प्रकाशन—१४१

नागरिक गीता

लेखक

श्री चमनलाल

होश्यारपुर

विश्वेश्वरानन्द वैदिक संस्थान

१९५६

प्रथम संस्करण
२०१३ (1956)
मूल्य २)



Printed at
The V. V.R. Institute Press
and published for
The V. V. Research Institute
By
DEV DATTA Shastri, V. B.
at Hoshiarpur (India)

प्रकाशक तथा मुद्रक—
देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर,
विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान,
प्रेस, साधुआश्रम,
होशिआरपुर (भारत)

विषय-सूची

ईश्वर कहां है ?

युगों से मनुष्य एक अज्ञेय शक्ति का अनुभव करता रहा है। ऋषि-मुनियों ने उसे पाने के लिए निर्जन वनों में घोर तपस्या की है। विश्व के प्रत्येक कोने में सभ्य और असभ्य कहाने वाली जातियों ने ईश्वर की किसी-न-किसी रूप में अवश्य पूजा की है। कोई इसे 'राम' कह कर पुकारता है तो कोई 'रहीम', 'ब्रह्मा', 'शिव', 'विष्णु' आदि किसी भी एक नाम से सम्बोधित करता है। किसी ने स्वयं को ही ब्रह्म का स्वरूप बतलाया है।

समय-समय पर यह प्रश्न उठता रहा है कि वास्तव में ईश्वर का निवास-स्थान कहां है ? क्या वह मन्दिर, मस्जिद गिरजाघर में रहता है ? सच तो यह कि ईश्वर न मन्दिर में है, न मस्जिद में, न गिरजे में, क्योंकि वह किसी भी एक विशेष स्थान में वास नहीं करता, वह सर्वव्यापक है। घट-घट में उस का निवास-स्थान है। ये समस्त विश्व में चमकते हुए सूर्य चन्द्र और तारे, यह विस्तीर्ण आकाश और सकल चर-अचर, लोक-परलोक सब उसी के रूप हैं।

जो सच्चे हृदय से उसे याद करता है। उसी के हृदय में वह वास करता है। ईश्वर को पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। छोटे से छोटा काम भी बिना यत्न के नहीं होता, फिर ईश्वर की प्राप्ति कैसे सरलता से हो सकती है? उसे पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या, छल और अभिमान को त्यागना पड़ता है तथा आत्म-त्याग, सच्चाई, प्रेम, अहिंसा कर्तव्य-निष्ठा, ईमानदारी तथा दीन-दुःखियों से प्रेम सीखना पड़ता है? हमारे विश्वकवि टैगोर ने सत्य ही लिखा है—

"अन्धकार में तू एकान्त ध्यान में लीन होकर किस की उपासना कर रहा है? आँख खोल और देख तेरे देवता मन्दिर के भीतर नहीं हैं? वे धूप और पानी में किसानों के रूप में बारह महीने कठोर श्रम कर रहे हैं।

"उनके दोनों हाथों में धूल और मिट्टी लगी हुई है। इसलिए उन्हीं के समान अपने पवित्र वस्त्रों को त्याग कर धूलि के बीच में चला आ।" और भी देखिए।

"जहां सब से अधम और दीन जनों का निवास है, वहीं तुम्हारे चरण विराजते हैं—सब के पीछे सब के नीचे सर्व-हारा—(जिन का सर्वस्व खो गया है) के बीच में।"

कर्त्तव्य-पालन में ही ईश्वर है

हमारे यहां एक कथा प्रचलित है कि एक ऋषिकुमार ने अपने गुरु से ईश्वर के विषय में पूछा। गुरु जी ने उसे एक दुकानदार का नाम बताया और कहा कि वही ईश्वर का पता बताएगा। अत्यन्त आश्चर्य से ऋषिकुमार वहां पहुँचा और बोला—"भगवन्, मैं आप से जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का निवास-स्थान कहां है?" दुकानदार ने कहा, "मैं वेद-शास्त्र तो कुछ नहीं जानता। मैं ईमानदारी से तोल कर अपना सामान बेचता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और न किसी को धोखा देता हूँ। जो सचाई से मिल जाता है उसी में संतोष करता हूँ; किसी की बुराई नहीं करता। अपने परिवार के व्यक्तियों को, पड़ोसियों को अथवा जिसे भी मेरी आवश्यकता हो उसे प्रसन्न और उसकी आवश्यकता को पूर्ण करने की मैं चेष्टा करता हूँ। इसी में मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं।"

यह सुन कर उस ऋषिकुमार को बड़ी निराशा हुई। कारण, वह तो दर्शनशास्त्र का गम्भीर अध्ययन करने गया था। दुकानदार के यहां से निराश होकर लौटे शिष्य को समझाते हुए गुरु जी ने कहा—"देखो जो उस दुकानदार का सा आचरण करता है वह भगवान् को पा लेता है।"

भगवान् की सच्ची पूजा अपने कर्तव्य के पालन में है। कोई भी काम छोटा नहीं है। एक मेहतर भी यदि ईश्वर को समर्पित करके अपना काम करता है तो वह निश्चय ही ईश्वर के निकट पहुँच सकता है। एक विद्यार्थी जो अपने पाठ को अच्छी तरह याद करता है, एक किसान जो पूरे परिश्रम से खेती करता है, एक दूकानदार जो बिना चोरबाज़ारी किये ईमानदारी से माल बेचता है, एक मज़दूर जो आठ घण्टे कठिन परिश्रम करता है उस व्यक्ति से ईश्वर के कहीं अधिक निकट है, जो मन्दिर में जाकर दो बार घण्टी बजा आता है, और मन में नित्य प्रति तस्करता और मिथ्याचरण से रुपया कमाने का भाव रखता है, परन्तु अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता।

प्राणिमात्र से प्रेम और क्षमा में ही ईश्वर है

ईसा को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। परन्तु फिर भी वे अत्याचारियों को लक्ष्य कर कह रहे थे—"भगवन्! इन्हें क्षमा करो; क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।" उस समय वे स्वयम् ईश्वरमय हो रहे थे।

एक बार महात्मा ईसा के पास एक दुराचारिणी स्त्री को ला कर कुछ लोगों ने पूछा कि इसे क्या दण्ड दिया

जाए ? उन्हों ने कहा कि मैं आंख बन्द कर लेता हूँ जिस ने कभी कोई बुरा काम न किया हो वह इसे एक पत्थर मार कर चला जाए उन्होंने जब नेत्र खोले तो देखा कि सब बिना पत्थर मारे ही लौट गये थे ।

प्रत्येक अच्छे से अच्छे व्यक्ति में कुछ-न-कुछ दुर्बलता होती है और घृणित से घृणित व्यक्ति में भी कुछ अच्छापन अवश्य मिलेगा । अतः, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए ।

सत्य ही ईश्वर है ।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य की उपासना में ही ईश्वर के दर्शन किये थे। उनका सारा जीवन सत्य से ओत-प्रोत था और उसकी प्रेरणा पर उन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किये। इसे वे ईश्वर की खोज कहते थे जिसे उन्होंने पा लिया था। इसी महती भावना से प्रेरित हो कर उन्होंने नोआखाली में धूप और वर्षा में नङ्गे पाँव नङ्गे सिर कुटी-कुटी में जाकर बुढ़ापे से जर्जरित शरीर से भी युवकों के दिल दहलाने वाला साहस दिखाया और दुःखियों के आँसू पोंछे । उनका भगवान् उनके साथ था ।

दुःखियों की सेवा में ही ईश्वर है

एक बार एक युवक ने दीनबन्धु ऐण्ड्रूज से पूछा—"आपका भगवान् कहां है?" वे बोले, "चलो मैं तुम्हें अपने भगवान् के दर्शन करा दूं।" उस युवक को साथ लेकर वे एक भंगी के द्वार पर खड़े हो गये। वहां एक वृद्ध तपेदिक से ग्रस्त, मातृ-विहीन बालक की सेवा कर रहा था। दीनबन्धु ऐंड्रूज ने उस युवक से कहा—"यह हैं मेरे भगवान्।" सचमुच विधवा, रोगी, अनाथ, मज़दूर, हरिजन, मेहतर आदि की सेवा ईश्वर की सेवा है। जिस नगर में इनकी सेवा होती है वह ईश्वर का नगर है और जिस देश में इनकी सेवा होती है वह ईश्वर का देश है।

मां के निःस्वार्थ प्रेम में, पति की प्रतीक्षा करती हुई पतिव्रता नारी के हृदय में और बच्चे की मधुर मुसकान में उसी का वास है। किसी ने सत्य ही कहा है, "प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है।" जब मनुष्य वैयक्तिक स्वार्थ से बढ़कर नागरिकता से, नागरिकता से बढ़ कर राष्ट्रियता से और राष्ट्रियता से बढ़ कर मनुष्यत्व से और फिर जीवमात्र से प्रेम करना सीख लेता है तब उसके लिए और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वह प्रत्येक अणु-अणु में अपने प्यारे, अपने भगवान् को पाता है।

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ के भावमय शब्दों में—

जो उठि ताको रूप विलौकौं, छलकत अंसुअन मेरे ।
जहां विलौकौं ता कहां देखौं, कहां दूर कहां नेरे ॥
अंखियन की पुतरिन में सोई, रहत सदा छवि घेरे ।
जहां विलोकौं ता कहँ देखौं, कहा दूर कहा नेरे ॥

(अनुवादक श्री वियोगीहरि)

—

शरीर तो सभी प्राणियों को प्राप्त है। मनुष्य में परमात्मा ने बुद्धि भी दी है। इसीलिए वह उत्कृष्ट प्राणी और शेष निकृष्ट प्राणी माने गये हैं। इस बुद्धि का विकास विद्या के द्वारा होता है। हम पाठशालाओं और विद्यालयों में विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम उत्तम मनुष्य बनते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 'विद्या' अथवा 'सरस्वती' को भी माता माना है।

हम पहले बता आये हैं कि यों तो सारी पृथिवी ही हमारी माता है परन्तु सब मनुष्य अपने देश को ही मुख्य रूप से 'मातृ-भूमि' कहते हैं। यह बात अत्यन्त स्वाभाविक है। हम इस देश में उत्पन्न हुए, इसकी भूमि पर बचपन में लोट-लोट कर और फिर खेल-कूदकर बड़े हुए। इसी के अन्न से हमारा पोषण हुआ। परन्तु जिस मनुष्य को परमात्मा ने भारत की भूमि में उत्पन्न किया वह सचमुच बहुत भाग्यवान् है। हमारी मातृभूमि सब देशों से न्यारी है, अनुपम है, उत्तम है। सारी पृथिवी पर ऐसा देश और ऐसी भूमि कहीं नहीं है।

हमारे देश में सब प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। उत्तम से उत्तम फल, मेवे और भाजियां यहां पैदा होती । हमारी भूमि के अन्दर कितना ही कोयला, लोहा,

हमारी मातृ-भूमि

भारतवर्ष हमारी मातृ-भूमि है, यह हम सब जानते हैं। हमें अपने देश से प्यार है, हम इसकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि हमें अपनी मातृ-भूमि से प्यार क्यों हो? प्रत्येक प्राणी को अपना निवास-स्थान प्यारा होता है। दिन भर इधर-उधर चक्कर लगाकर पक्षी सायंकाल अपने घोंसले को स्मरण करता है और वहीं पहुँच कर उसे सुख-शान्ति प्राप्त होते हैं। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि पशुओं को कहीं छोड़ दीजिए—वे सीधे अपने स्थान पर ही आकर साँस लेते हैं।

जब बेसमझ पशुओं और पक्षियों को अपने स्थान से इतना ेम होता है तो यह स्वाभाविक बात है कि मनुष्य को उस भूमि से प्यार हो जहां वह उत्पन्न हुआ है और जहां के अन्न-जल से उसका पालन-पोषण होता है।

समस्त देशों के निवासी अपने-अपने देश को प्यार करते हैं और उसे अपनी 'मातृभूमि' कहते हैं। वास्तव में सारी पृथिवी ही मनुष्य जाति की 'माता' है। इसीलिए

साधारण बोल-चाल में हम 'धरती माता' शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सारी पृथिवी ही हमारी मातृ-भूमि है और सारी मनुष्य जाति हमारा 'कुटुम्ब'। परन्तु साधारणतया अपने देश को ही मातृभूमि माना जाता है। इसका कारण हम तुम्हें बताते हैं:—

भारत में 'माता' शब्द का प्रयोग केवल अपनी जननी माता के लिए ही नहीं होता, हम इस शब्द का प्रयोग 'भूमि' के लिए भी करते हैं और 'गौ' के लिए भी। इन तीन माताओं के अतिरिक्त हम 'विद्या' को भी माता कहते हैं। इन चार माताओं के द्वारा हमारा लालन-पालन होता है, हमारा शरीर पलता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हम सच्चे अर्थों में 'मनुष्य' बनते हैं।

सब से पहले हम अपनी माता का दूध पीकर जीवित रहते हैं। जब हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम धरती-माता का दिया हुआ अन्न और गौ-माता का दिया हुआ दूध उपयोग में लाते हैं। इन्हीं से हमारा शरीर पुष्ट होता है। इन्हीं की कृपा से हम जीवित रहते हैं। हमारी अपनी माता तो हमें डेढ़-दो वर्ष तक ही अपने दूध से पाल सकती है। उसके पश्चात् तो सारी आयु पर्यन्त हमारा जीवन धरती-माता और गौ-माता की कृपा से ही चलता है।

शरीर तो सभी प्राणियों को प्राप्त है। मनुष्य में परमात्मा ने बुद्धि भी दी है। इसीलिए वह उत्कृष्ट प्राणी और शेष निकृष्ट प्राणी माने गये हैं। इस बुद्धि का विकास विद्या के द्वारा होता है। हम पाठशालाओं और विद्यालयों में विद्या ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। उस से हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम उत्तम मनुष्य बनते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने 'विद्या' अथवा 'सरस्वती' को भी माता माना है।

हम पहले बता आये हैं कि यों तो सारी पृथिवी ही हमारी माता है परन्तु सब मनुष्य अपने देश को ही मुख्य रूप से 'मातृ-भूमि' कहते हैं। यह बात अत्यन्त स्वाभाविक है। हम इस देश में उत्पन्न हुए, इसकी भूमि पर बचपन में लोट-लोट कर और फिर खेल-कूदकर बड़े हुए। इसी के अन्न से हमारा पोषण हुआ। परन्तु जिस मनुष्य को परमात्मा ने भारत की भूमि में उत्पन्न किया वह सचमुच बहुत भाग्यवान् है। हमारी मातृभूमि सब देशों से न्यारी है, अनुपम है, उत्तम है। सारी पृथिवी पर ऐसा देश और ऐसी भूमि कहीं नहीं है।

हमारे देश में सब प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं। उत्तम से उत्तम फल, मेवे और भाजियां यहां पैदा होती हैं। हमारी भूमि के अन्दर कितना ही कोयला, लोहा,

मेंगनीज़, सोना और अन्य धातुएं भरी पड़ी हैं। इन से हमारे यहां अनेक उद्योग-धन्धे चलाए जा सकते हैं। इस देश में बारी-बारी से सब ऋतुएं आती हैं। संसार के अनेक देशों में सारे वर्ष भर या तो गरमी पड़ती है या बहुत सर्दी। हमारे देश में कभी गरमी है, कभी जाड़ा, कभी वसन्त और कभी वर्षा। यहां की भूमि बड़ी उपजाऊ है। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो यहां उत्पन्न न हो सके। यहां एक ओर सैकड़ों मील लम्बी-चौड़ी विस्तृत विशाल समतल भूमि है और दूसरी ओर हिमालय जैसा महान् ऊँचा पर्वत, जिसकी समता संसार का कोई पर्वत नहीं कर सकता। हमारे देश में सैकड़ों छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं जो हमारी भूमि को सींचती रहती हैं। ऐसा देश इस पृथिवी पर और कहां है? इसको प्रकृति ने खुले हाथों अपनी विभूतियां प्रदान की हैं।

एक और बात पर भी हमें भारत में उत्पन्न होने का हर्ष है। हम ऐसे देश में उत्पन्न हुए हैं जहां की सभ्यता संसार की सब से पुरानी सभ्यता है। वास्तव में भारत में ही सभ्यता ने जन्म लिया। फिर यहीं से सारे संसार में सभ्यता फैली। भारत ने संसार को खेती-बाड़ी करना सिखाया, कपड़ा बुनना सिखाया और अनेक

प्रकार का ज्ञान दिया। भारत देश सारे संसार का गुरु है।

हमारा इतिहास भी हमारे लिए गर्व की वस्तु है। हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। इस भूमि ने राम और कृष्ण जैसे अलौकिक पुरुषों को जन्म दिया। इसी भूमि में वशिष्ठ, गौतम, विश्वामित्र, कपिल और कणाद जैसे महर्षि और ब्रह्मर्षि, जनक जैसे राजर्षि, ध्रुव और प्रह्लाद जैसे अटल प्रतिज्ञा वाले बालक, हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी और धर्मात्मा, अर्जुन, भीम, प्रताप, गुरु गोविन्दसिंह, शिवाजी जैसे महापराक्रमी, शूरवीर, बाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण, सूरदास और तुलसीदास जैसे महाकवि, विदुर और चाणक्य जैसे नीतिज्ञ, भरत, चन्द्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त और हर्ष जैसे प्रतापी राजा और प्रजापालक, दधीचि और भामाशाह जैसे त्यागी, परशुराम, पृथिवीराज और राणा सांगा जैसे योद्धा, युधिष्ठिर जैसे धर्म के ज्ञाता और कितने ही अन्य महापुरुष हुए हैं। इसी भूमि ने भगवान् बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानकदेव और महर्षि दयानन्द को जन्म दिया।

वर्तमान युग भारत में अवनति का युग कहलाता है। परन्तु इस युग में भारत-माता ने गांधी, टैगोर, मालवीय, लाजपतराय, तिलक, नेहरु, सुभाष, जगदीशचन्द्र बोस, राममोहनराय, विवेकानन्द और अन्य

अनेक त्यागी, सत्यवादी, विद्वान् देशभक्त महापुरुष संसार को प्रदान किये हैं।

हम ऐसे देश पर, ऐसी मातृभूमि पर जितना गर्व करें उतना ही थोड़ा है। ऐसी मातृभूमि—भारत-माता—के लिए ही किसी ने कहा है—"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"—अर्थात् जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी हैं। सच पूछिए तो स्वर्ग इस देश के सामने तुच्छ और व्यर्थ है जिसकी भूमि पर ऐसी-ऐसी अलौकिक आत्माएँ उतरी हों।

हमारी प्यारी मातृभूमि ने हमको सब कुछ दिया है। इसका हमारे ऊपर इतना ऋण है कि हम इससे कदापि मुक्त नहीं हो सकते। हमारा यह परम धर्म है कि हम इसकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहें और यदि अवसर आ पड़े तो अपने प्राणों और अपने सर्वस्व को हँसते-हँसते इस पर न्यौछावर कर दें। आओ सब मिल कर प्रेम से बोलें—"भारत माता की जय।"

——

जगद्गुरु भारत

ऐसा कौन सा अभागा प्राणी होगा जिस ने कभी गर्व से यह न कहा हो कि यह मेरा प्यारा भारत है मेरी मातृ-भूमि है। सचमुच हम सब भाग्यशाली हैं, कि हम ने भारत में जन्म लिया है। हिमालय भारत के सिर पर शुभ्र मुकुट पहिना रहा है और हिन्द महासागर इसके चरणों को चूमता है। एक दिन था जब कि हमारा भारत सब देशों का शिरोमणि था। यहां पर धन-वैभव, सुख-ऐश्वर्य किसी भी बात का अभाव न था। विद्या का प्रकाश यहां सर्वत्र फैला हुआ था। दूर-दूर से यात्री यहां विद्याध्ययन के लिए आया करते थे। यहाँ से विद्या यूनान में फैली और फिर सर्वत्र अरब और यूरोप में फैल गई। अध्यात्मवाद में तो आज भी कोई देश भारत की तुलना नहीं कर सकता। यहां के वासी धीर, वीर, यशस्वी थे। बीजगणित, रेखागणित, शून्य का मूल्य, दशमलव भिन्न, गणित, ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं को संसार ने भारत से ही सीखा है। भारत में लीलावती का नाम दशमलव भिन्न के आवि-

ष्कार के लिए प्रसिद्ध है। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने ठीक ही कहा है—

जिस अंक-विद्या के विषय में वाद का मुख बन्द है।
वह भी यहीं के ज्ञान-रवि की रश्मि एक अमन्द है॥
डर कर कठोर कलंक से या सत्य के आतंक से।
कहते अरब वाले अभी तक 'हिन्द-सा' ही अंक से॥

भारत में ६४ विद्या और १६ कला मानी गई हैं।

वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक हैं। हमारे देश के केवल पुरुष ही विद्वान् नहीं होते थे वरन् यहां की स्त्रियां भी विदुषी होती थीं। बहुत सी नारियाँ वेदों की ऋचाओं की ऋषि हैं। मैत्रेयी और गार्गी के उदाहरण हमारे समक्ष हैं। जो लोग कहते हैं कि भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वे हमारे प्राचीन-ग्रन्थों को पढ़ कर देखें। विद्या के क्षेत्र में क्या भारत और किसी क्षेत्र में भी किसी से कम था ?

भारत में ही सब से पहिले शक्कर बननी प्रारम्भ हुई। गेहूँ, चावल और रूई आदि को भी भारतवासियों ने ही सब से पहिले उत्पन्न किया। मार्कोपोला ने जब रूई के पौधे देखे तो उन्हें देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसने लिखा है कि मैंने भारत में ऊन को पौधों पर लगते

देखा है। उस समय और देशों को रूई का ज्ञान भी नहीं था। यहां पर प्राचीन समय में इतना अच्छा कपड़ा बनता था और ज़री का काम होता था जिसे देख कर विदेशी आश्चर्य-चकित हो जाते थे। ग्राम-ग्राम में पुतलीघर थे। ढाका की मलमल आज तक प्रसिद्ध है भारत और विदेशों में कपड़े, चीनी (शक्कर), चावल, गेहूँ, मसाले आदि का व्यापार बहुत ज़ोर से होता था। ईराक, दमिश्क और बग़दाद होते हुए यात्री यूरोप में जाया करते थे। चीन, तिब्बत तथा अन्य पूर्वी द्वीपों से भी यह व्यापार चलता था। उस समय भारत में सोना ही सोना बरसता था। भारत उस समय सच्चे अर्थ में 'सोने की चिड़िया' था।

अन्य सब देशों के इतिहासकार सभ्यता का आरम्भ केवल चार हज़ार वर्ष पूर्व मानते हैं परन्तु महर्षि दयानन्द तथा अन्य आर्य्य विद्वानों ने बताया है कि २ अरब ९० करोड़ वर्ष पूर्व यहां सभ्यता का आरम्भ हो चुका था। आज के दिन हमारे संस्कृत-साहित्य की बहुत सी खोज-पूर्ण बातों को पाश्चात्य संसार ने स्वीकार कर लिया। ज्यों-ज्यों नवीन खोजें होंगी त्यों-त्यों हमारे इतिहास की सभ्यता पर अन्य देशों को विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।

भारतवासियों का राज्य पेरू से लेकर मैक्सिको, प्रशान्त महासागर, जावा, बाली, सुमात्रा, हिन्दचीन, ब्रह्मदेश, तिब्बत, लङ्का, मध्यएशिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया, मिश्र और रोम तक फैला हुआ था। आयरलैन्ड, इङ्गलैण्ड, लिथुवानिया और स्कैण्डेनेविया के इतिहास में ऐसी गाथाएँ मिलती हैं जिन से यह सिद्ध होता है कि इन देशों में हिन्दु देवी-देवताओं की पूजा होती थी। आयरलैण्ड के इतिहास में एक कथा आती है कि आयरलैण्ड की एक देवी अस्वस्थ हो गयी, तो पुजारियों ने निर्णय किया कि भारतवर्ष से एक गाय मंगाई जाए और उसका दूध उस देवी को पिलाया जाए, तभी वह स्वस्थ हो सकती है। भारतवर्ष से ही फिर दूध मंगाया गया और वह देवी स्वस्थ हो गई। यह कथा तीन हज़ार वर्ष पहिले की है।

चीन मिश्र युनान तथा रोम का गुरु

प्रचीन संसार की सभ्यताओं में चीन, मिश्र तथा रोम की प्राचीन सभ्यताएँ सब से प्राचीन मानी जाती हैं, स्वयं इन देशों के प्रमुख इतिहासकारों ने स्वयम् स्वीकार कर लिया है कि भारत की सभ्यता इन सभी देशों की सभ्यताओं से भी प्राचीन है और वे सब भारत को अपना गुरु मानते हैं। चीन के प्रसिद्ध विद्वान् तथा तत्त्व-वेत्ता, जो

अमेरिका में कितने ही वर्ष राज-दूत रहे हैं, ने मुझे आज से १४ वर्ष पूर्व यह बताया था कि भारत और चीन का पाँच सहस्र वर्ष पुराना सम्बन्ध है। भारत की सभ्यता ने चीन की सभ्यता पर कितनी ही हज़ार शताब्दियों तक राज्य किया। यह विजय उसकी विद्वत्ता और प्रेम की विजय थी। इस विजय को प्राप्त करने के लिए भारत को कभी एक भी सिपाही चीन नहीं भेजना पड़ा। भारत ने कभी अपनी इस विजय को चीन के ऊपर बलात् नहीं लादा। भारत की यह विजय चीन ने स्वेच्छा से स्वीकार की थी। अपने सहस्रों विद्वानों को चीन ने भारत में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा, जिन्हों ने चीन लौट कर वहाँ के कोने-कोने में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। चीन के पुस्तकालयों और मन्दिरों में सहस्रों संस्कृत की पुस्तकों के अनुवाद पाये गये हैं और अभी भी खोज की जा रही है। चीन के धर्म्म, तत्त्वज्ञान, विज्ञान, संगीत, मूर्तिकला, वस्तुकला, चित्रकारी आदि सभी विद्याओं पर भारत की छाप लगी हुई है। चीन के लोगों ने नाटक लिखने में भारत का अनुसरण किया है। भारत से चीन में भांति-भांति के वाद्य (बाजे) भेजे जाते थे। चीन ने भारत से ही नृत्यकला को भी सीखा। अब तक भी उसका प्रभाव चीनी नृत्यकला पर पाया जाता है।

चीन के एक नगर में दस सहस्र हिन्दू

आज हवाईजहाज़ों की भरमार के दिनों में भी सारे चीन में कठिनाई से एक सहस्र हिन्दू वहां मिलेंगे। परन्तु आज से २ हज़ार वर्ष पूर्व केवल चीन की राजधानी लोयाङ्ग में ही दस सहस्र हिन्दू परिवार रहा करते थे और तीन हज़ार भारतीय बौद्ध-भिक्षु इस नगर के मन्दिरों में बौद्ध-धर्म्म का प्रचार करते थे।

भारत का चीन से करोड़ों रुपये का व्यापार होता था और यह व्यापार छोटे-छोटे पानी के जहाज़ों द्वारा होता था। प्रत्येक जहाज़ में लगभग ६०० यात्री आ जा सकते थे। यह जहाज़ ब्रह्मा, मलाया, सुमात्रा, जावा, हिन्दचीन, कम्बोडिया आदि देशों में ठहरते हुए चीन को जाया करते थे। इस यात्रा में छः महीने लग जाते थे। भारत और चीन का यह व्यापार स्थल-मार्ग से भी खूब होता था।

आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब चीन के एक नगर (लोयाङ्ग) में १० सहस्र हिन्दू-परिवार रहते थे तो सारे चीन में कितने अधिक भारतीय रहते होंगे और हमारा और चीन का कितना घनिष्ट सम्बन्ध रहा होगा।

भारत का मिश्र में राज्य

भारत का मिश्र से बहुत प्राचीन सम्बन्ध है। मिश्र नाम ही संस्कृत का है और पुराणों में भी इस का वर्णन आता है। कितने ही इतिहासकारों का यह मत है कि प्राचीन भारत की सीमा मिश्र तक फैली हुई थी और यह ठीक भी है, क्योंकि ईरान, ईराक, सीरिया और मिश्र के इतिहास में आर्य राजाओं के नाम पाये जाते हैं। असुरवनीपाल का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है ही इसके अतिरिक्त एक दर्जन आर्य्य राजाओं के नाम केवल सीरिया देश के इतिहास में मिलते हैं। सीरिया, ईराक और मिश्र के प्राचीन मन्दिरों में अनेक हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियाँ मिलती हैं। नील नदी का वर्णन पुराणों में आता है जब नील नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए सन् १८६० में यूरोपियनों ने प्रयत्न किया तो उनको भी पुराणों की शरण लेनी पड़ी। पुराणों में लिखा है कि नील नामक पवित्र नदी सोमगिरि पर्वत में अमर झील से निकलती है। जब नील नदी के स्रोत की खोज के लिए काम प्रारम्भ हुआ तो सबसे पहले पुराणों में से ही उस देश का नक्शा लिया गया था।

मिश्र में नृसिंहावतार

मिश्र की सब से प्राचीन राजधानी का नाम 'देववास' था, जिसके खण्डहर आज भी पाये जाते हैं। वहां से एक हिन्दू योगी की मूर्ति भी मिली है। मिश्र का अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर जो 'स्फिक्स' (Sphinx) के नाम से विख्यात है वास्तव में नृसिंहावतार का मन्दिर है। हमने इस मन्दिर को अपनी आँखों देखा है। यह केवल हमारी ही सम्मति नहीं है, वरन् इंग्लैंड के इतिहासकारों का भी यही मत है। इस मन्दिर के द्वार पर दो द्वार-पालों की मूर्तियां आज भी खड़ी हुई मन्दिर पर भारत की छाप को सिद्ध कर रही हैं।

आज भी भारत की भांति मिश्र में कमल के फूल को पवित्र माना जाता है। मिश्र में भारत के सैंकड़ों रीति-रिवाज प्रचलित थे। आज से तीन सहस्र वर्ष पहले भी भारत का मिश्र से करोड़ों रुपयों का व्यापार होता था। भारत से रेशम, मलमल, गरम मसाले, चीनी आदि मिश्र को भेजी जाती थी। मिश्र में सहस्रों वर्ष पुराने मृतक शरीर (ममीज़) भारत की मलमल में लिपटे हुए पाये गये हैं।

रामेश्वरम् से रोम तक

मिश्र की भांति रोम साम्राज्य से भी भारत का बहुत प्राचीन सम्बन्ध था। आज से तीन सहस्र वर्ष पुराने रोम के सिक्के दक्षिण भारत के कितने ही ग्रामों में खोज करने पर पाये गये हैं जो अजायब घर में रखे हुए हैं। रोम के जितने प्राचीन कानून हैं वे मनुस्मृति का अक्षरशः अनुवाद हैं। इसी प्रकार यूनान में भी हमारी सभ्यता की छाप पग-पग पर पाई जाती हैं। रोम और यूनान के सभी देवी-देवताओं के नाम संस्कृत में ही हैं। भारत और यूनान का तो विशेष सम्बन्ध रहा है। भारत के बहुत से विद्वान् आज से सहस्रों वर्ष पूर्व यूनान में गये और उन्होंने वहां वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। हमारे देश के नालन्दा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में यूनान के सैकड़ों विद्यार्थी सहस्रों मील पैदल चलकर शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। आज से दो सहस्र वर्ष पहिले यूनान का प्रसिद्ध तत्त्व-वेत्ता ऐपोलोनियस ऊंटों पर सहस्रों मील की यात्रा करके भारत से योग-विद्या सीखने आया था। यह विद्वान् तक्षशिला में राजा भरत का अतिथि बन कर ठहरा और हिमालय की घाटियों में योगियों के आश्रमों में पाँच महीने योग-विद्या का अध्ययन करता रहा।

अमेरिका के हिन्दू राजा

सारे अमेरिका के भिन्न-भिन्न देशों के विशेषकर मैक्सिको, पीरू, बोलिविया, गौतमालय, हण्डोरास में सहस्रों मन्दिर आज भी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि वहां आर्यों ने भारत की सभ्यता को कोने-कोने में फैला दिया था। भारत का कोई भी ऐसा देवी-देवता न होगा, जिस के मन्दिर अमेरिका के इन देशों में न मिलते हों। इन देशों में बच्चे के जन्म से लेकर मृतक-संस्कार और यहां तक कि सती प्रथा भी भारत के ही समान पाई जाती है। पीरू की भाषा में संस्कृत के एक सहस्र शब्द मिलते हैं। यहां के निवासी यज्ञोपवीत संस्कार और कर्णवेध संस्कार भी किया करते थे। इन देशों में शिव जी, हनुमान् जी, इन्द्र, गणेश जी आदि सब हिन्दू देवी-देवताओं के मन्दिर पाये जाते हैं। चार सौ वर्ष हुए यहां के वासियों को तलवार के बल से ईसाई बना लिया गया था, परन्तु आज भी वे लोग जंगलों और पहाड़ों में दूर-दूर जाकर सूर्य्य, ध्रुव और अपने पुराने देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। हवन-सामग्री जलाने की प्रथा अभी तक उन में प्रचलित है। इन लोगों का खाना भी भारतीय ढंग का होता है। मैक्सिको में तो चपाती, दाल, चटनी और

खीर तथा पेठे की मिठाई, मलाई और बादाम की पूरी, खोये के पेड़े आदि बहुत सी भारतीय मिठाइयाँ मिलती हैं।

इन्हीं देशों को महाभारत में पाताल देश के नाम से सम्बोधित किया गया है। पाताल देश की पूरी सचित्र कहानी पढ़ने की जिन पाठकों को रुचि हो वे उसे हमारी पुस्तक "हिन्दू अमरीका" में पढ़ सकते हैं। हमने अमरीका की नौ बार यात्रा करके पाँच वर्ष में भारतीय सभ्यता का अमरीका पर क्या प्रभाव पड़ा, इस की पूरी खोज की है। भारत का मध्ययुग यद्यपि पतन का युग कहा जाता है तो भी उसके इतिहास में गौरव पूर्ण दृष्टान्त हमें स्थान-स्थान पर मिलते हैं। टॉड का राजस्थान पढ़ कर आज भी हमारा हृदय गर्व से फूल उठता है।

अपनी पराधीनता के युग में भी उसने टैगोर से लेखक महात्मा गाँधी के सदृश राजनीतिज्ञ और राधाकृष्णन जैसे दार्शनिक उत्पन्न किये हैं जो विश्व की विभूति कहे जाते हैं।

आज भी राष्ट्र-संघ में उच्च पदों पर कई भारतीय हैं। डॉ. राधाकृष्णन सामाजिक, सांस्कृतिक और शिक्षाविभाग के अध्यक्ष हैं। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का सिक्का सब देश-विदेशों में माना जाता है। गाँधी जी, टैगोर और जवाहरलाल नेहरू की जितनी पुस्तकें

अन्य देशों में बिकती हैं उन का शतांश भी भारत में नहीं बिकतीं ।

प्यारे पाठको ! इस छोटे से लेख में आप को अपने प्यारे भारत की पूर्ण गौरव-पूर्ण कहानी तो हम नहीं बता सकते, केवल उसकी एक झांकीमात्र आप को दिखला दी गई है । कौन ऐसा भारतीय होगा जिसे अपने पूर्वजों और उनके गौरव-पूर्ण कार्य्यों पर गर्व न होगा ।

हमारी संस्कृति की सब से बड़ी विशेषता यह रही है कि हमारे पूर्वजों ने किसी देश को शस्त्र-बल से अधीन नहीं किया था, वरन् उन्होंने सर्वत्र प्रेम से अपनी संस्कृति फैला कर स्थायी-विजय प्राप्त की थी अब जब कि भारत फिर स्वतन्त्र हो गया है, हमें विश्वास है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता एक बार फिर जगमगाते हुए नक्षत्र की भांति विश्व में चमकेगी और विश्व उससे प्रेम और शान्ति का पाठ पढ़ेगा ।

धर्म्म का ले लेकर जो नाम,
हुआ करती बलि कर दी बंद ।
हमीं ने दिया शांति-सन्देश,
सुखी होते देकर आनन्द ॥
विजय केवल लोहे की नहीं,
धर्म्म की रही धरा पर धूम ।

भिक्षु होकर रहते सम्राट्,
दया दिखलाते घर घर घूम ॥
यवन को दिया दया का दान,
चीन को मिली धर्म्म की दृष्टि।
मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न,
शील की सिंहल को भी सृष्टि ॥

—

हमारी सरकार

'प्रजातन्त्र' शब्द भले ही पाश्चात्य संसार के लिए नवीन हो, परन्तु भारत तो सदैव ही प्रजातंत्रवादी रहा है। राजा को हमारे यहां प्रजा का सेवक माना गया है। वैदिक-काल से ही राजा का चुनाव प्रजा किया करती थी। राजा धर्म्म, अर्थात् देश के नियम का पालन करता था और नियम-भङ्ग करने वालों को दण्ड देता था। राजा को जनता की तथा जनता के द्वारा चुनी हुई समिति की सम्मति का मान करना पड़ता था। बहुमत के प्रतिकूल राजा भी न चल सकता था।

जब राजा अन्याय का पथ ग्रहण करता था तो उसे प्रजा राज्य छोड़ने पर विवश कर देती थी। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। हमारे ग्रामों में भी पञ्चायतें होती थीं जो स्वायत्त शासन का ही रूप थीं, सब ग्रामीण इन पञ्चायतों में अपने झगड़ों का निपटारा स्वयम् किया करते थे। पञ्चमुखी परमेश्वर का अभिप्राय भी यही है (जनता का शब्द ही ईश्वर है)। 'जनता-जनार्दन की पूजा करो' का अर्थ भी यही है कि जनता ही ईश्वर है और उसका मान करो।

१५ अगस्त सन १९४७ से फिर भारत ने स्वायत्त-शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया है और अब फिर एक राष्ट्रीय सरकार देश का शासन प्रबंध करने के लिए स्थापित हो गई है। २६ जनवरी सन् १९५० को हमारा देश जन-तन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। आज के दिन वह स्वेच्छा से राष्ट्र-संघ का सदस्य बना हुआ है। वह जब चाहे उससे पृथक् भी हो सकता है।

जनता ही राजा है

आज भारत सर्व-शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है। आज उसे किसी भी विदेशी सरकार से सन्धि और सन्धि-विच्छेद करने का अधिकार है। आज हम अपने स्वामी आप हैं। देश की वास्तविक साम्राज्ञी जनता है। हमारे शासन-विधान ने जनता के इस अधिकार को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है।

जनता ही राज्य की सञ्चालिका है

ब्रिटिश साम्राज्य में हमारे देश का शासन-प्रबंध ब्रिटिश पार्लियामैंट के अधीन था, परन्तु स्वतन्त्र भारत में जनता ही आज राज्य की संचालिका है। भारतवासियों को अब यह अधिकार मिल गया है कि वह पार्लिमैंट राज-सभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का स्वयम् चुनाव करें। यहां तक

कि राष्ट्रपति का जो एक भारतीय के लिए सब से बड़ा पद है, चुनाव भी जनता ही करती है। २१ वर्ष की आयु के प्रत्येक स्त्री-पुरुष को मताधिकार मिल गया है।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति देश का चुना हुआ सम्राट् है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रांतीय संसदों के द्वारा तथा केन्द्रीय संसद् तथा राज्य-सभा के द्वारा होता है। आपत्काल में राष्ट्रपति के अधिकार बहुत अधिक हो जाते हैं। मन्त्री-मंडल का मुखिया प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से लोकसभा (पार्लियामैंट) के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि देश की सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता अपने इस उत्तरदायित्व और शक्ति का परिचय चुनाव के समय देती है। वह जिसे चाहे प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति बना सकती है।

सब को समान अधिकार हैं

भारतीय सरकार की दृष्टि में प्रत्येक भारतीय, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, ऐंग्लो इंडियन कोई भी क्यों न हो, समान है और उसको नौकरी तथा नागरिकता के समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय शासन-विधान के अनुसार अनुशासन का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता है तथा वह अपना धर्म्म मानने के लिये स्वतन्त्र है।

प्रान्तीय सरकार

सब प्रान्तों में अपनी-अपनी सरकार हैं और कुछ बातों में जैसे शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-सुधार, सामाजिक सुधार आदि में वह पूर्ण-स्वतन्त्र हैं, परन्तु विदेशों से सन्धि तथा सन्धि-विच्छेद वे नहीं कर सकतीं। केन्द्रीय सरकार से पृथक् होने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। कुछ प्रान्तों में दो सभाएँ हैं जो प्रान्तों का प्रबन्ध करती हैं और कुछ छोटे प्रान्तों में केवल एक ही सभा है। प्रत्येक प्रान्त में मन्त्रिमण्डल होता है और उनका नेता मुख्य मन्त्री। राज्य-पाल का प्रान्तीय शासन में वही स्थान है जो राष्ट्रपति का केन्द्रीय सरकार में। भारतीय राज्य (रियासतें) अब भारतीय राष्ट्र-संघ में सम्मिलित हो गये हैं और प्रान्तों की भांति केन्द्रीय सरकार के आधीन हैं।

राष्ट्रभाषा

हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है। और उसकी लिपि देवनागरी। परन्तु १५ वर्ष के लिए अंग्रेज़ी में भी सरकारी कार्य किया जा सकता है।

सरकार का लक्ष्य

हमारी सरकार का लक्ष्य सब को समान अधिकार देकर जातिभेद से शून्य राज्य की स्थापना है। सब को उन्नति का समान अवसर देना, जीविका निर्वाह के उचित साधनों का प्रबन्ध तथा रहने के स्तर को ऊंचा उठाना, धन का उचित विभाजन, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध तथा सामाजिक सुधार करना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

राजसत्ता की अन्ताराष्ट्रीयता

शासन-विधान के अनुसार भारत की विदेश-नीति का उद्देश्य अन्ताराष्ट्रीय शान्ति की रक्षा करना है। दूसरे राष्ट्रों के साथ प्रेम-पूर्ण समझौता रखना, अन्ताराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और अन्ताराष्ट्रीय झगड़ों का पञ्च के द्वारा समझौता करा लेना हमारी सरकार का नियम है।

हमारे यहां एक सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) है। जो सब प्रान्तीय सरकारों के तथा अन्य सब झगड़ों का निपटारा करता है। एक सा कानून सब जगह लागू है।

प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार हमारे वर्तमान

शासन-विधान द्वारा मिलें हैं वे 'हमारे नागरिक के अधिकार' नामक लेख में देखिये ।

आज हमारे राष्ट्रपति श्री राजेन्द्रप्रसाद जी और प्रधान-मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू हैं । हमारा स्वतन्त्र भारत दिनों दिन फले फूले यही हमारी कामना है । जय हिन्द

हमारा झण्डा

राष्ट्र-गगन की दिव्य-ज्योति राष्ट्रीय-पताका नमो नमः ।
भारत जननी के गौरव की अविचल शाखा नमो नमः ॥

झण्डा राष्ट्रीय गौरव, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। वह हमारी एकता और शक्ति का केन्द्र तथा हमारी भावनाओं का साकार प्रतिरूप है। उसके रूप में राष्ट्र की आत्मा निवास करती है।

प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र का अपना राष्ट्रिय-झण्डा, राष्ट्रिय-भाषा तथा राष्ट्रिय-गान होता है। झण्डे में दिव्य शक्ति है। अपने झण्डे के मान पर वीर हँसते-हँसते प्राण-विसर्जन कर देते हैं। वह सोतों को जगाता, जागे हुओं को काम में लगाता और काम में लगे हुओं को उन्नति के पथ की ओर अग्रसर करता है। झण्डा हमारा जीवन, प्राण है। झण्डे का मान राष्ट्र का मान और झण्डे का अपमान राष्ट्र का अपमान है।

हमारा विश्व-विजयी राष्ट्रिय झण्डा तिरंगा है। इसका हरा रंग हरे-भरे, उपजाऊ भारत का प्रतीक है। भारत माँ को शस्य श्यामला, और हरी-भरी बनाने का मानो यह

हमें प्रति समय आदेश दे रहा है। यह हमें दृढ़ता और आत्म-विश्वास का पाठ पढ़ाता है।

सफेद रंग हमें मितव्ययी बनने का सन्देश देता रहता है। वह हमें सब समय स्मरण कराता रहता है कि जो कुछ उत्पन्न करो उसे कभी व्यर्थ नष्ट न करो। यह हमें सत्य, अहिंसा और पवित्र एवं उज्ज्वल जीवन बिताने का आदेश देता है।

केसरिया रंग अग्नि के समान पवित्र है और उसके तेज का प्रतीक है। इसी रंग के वस्त्र हमारे यहां तपस्वी और साधु पहिनते हैं। वह जनता-जनार्दन की सेवा में रुपये को व्यय करने का आदेश देता है। यह रंग त्याग, सेवा और तपस्या का प्रतीक है। यह हमें राष्ट्र पर अपना सर्वस्व-त्याग करने का सन्देश देता है।

ध्वज के बीच में 'अशोक चक्र' बना हुआ है। यह चक्र हमारे पुरातन गौरव का प्रतीक है। जैसे चक्र का कोई आदि अन्त नहीं होता इसी प्रकार जब उत्पत्ति, मितव्ययता और उसके सदुपयोग द्वारा इन तीनों का समन्वय हो जायेगा तो भारत में उन वस्तुओं का अभाव न रहेगा जो उसकी सुख-समृद्धि और प्रसन्नता के लिए आवश्यक हैं। उस समय हम कह सकेंगे कि भारत तिरंगे

झंडे पर सुशोभित अशोक चक्र का प्रतीक बन गया है। मनुष्य की उन्नति में चक्र का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है। अत्यन्त प्राचीन समय में जब मनुष्य आजकल की सभ्यता के अविष्कारों के ज्ञान से अपरिचित था उस समय उसने सर्वप्रथम चक्र का ही आविष्कार किया और उसके द्वारा पहियेदार गाड़ी का निर्माण किया। इस प्रकार आने-जाने की सुविधा होने से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ।

आदियुग के मनुष्य को केवल पत्तों और वृक्षों की छाल से ही तन ढाँपना पड़ता था। परन्तु चक्र के आविष्कार से धीरे-धीरे उन्नति करके उसने चर्खा बना लिया और इस प्रकार सूत कातने और बुनने की कला का आविष्कार हो गया। इस प्रकार चक्र हमें सभ्यता के पथ पर एक पग और आगे ले गया।

एक सभ्य मनुष्य के लिए यातायात के साधन और वस्त्रों के साथ-साथ अच्छा खाना भी आवश्यक है। इसके लिए उसे बर्तनों की आवश्यकता हुई उसने इसी चक्र को कुम्हार के चाक में परिवर्तित कर लिया। इस प्रकार चक्र द्वारा ही मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। आधुनिक सभ्यता की प्रगति में मशीन अद्वितीय स्थान रखती है। परन्तु चक्र छोटी-बड़ी प्रत्येक मशीन का मूल आधार है।

चक्र सदैव प्रगति का प्रतीक रहा है। जैसे चलते हुए चक्र का कोई भाग कभी ऊपर और कभी नीचे आता है इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य तथा राष्ट्र के जीवन में उत्थान और पतन, सुख और दुःख अवश्यंभावी हैं। चक्र हमें इन दोनों परिस्थितियों में शांत चित्त रहने का आदेश देता है।

चक्र के समान ही हमारा राष्ट्रिय जीवन है। जिस प्रकार चक्र के किसी भी भाग के दोषयुक्त होने पर वह ठीक कार्य नहीं कर सकता और तीनों भागों के संयुक्त सहयोग पर ही चक्र की गति निर्भर है, इसी प्रकार हम अपने राष्ट्रिय जीवन में भी तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम में राष्ट्रीय एकता पारस्परिक सहयोग और देश प्रेम की भावना न हो। चक्र का गहरा नीला रंग समुद्र और आकाश का प्रतीक है। पृथिवीतल पर आकाश के समान ऊँचा तथा असीम और समुद्र के समान गहरा तथा विशाल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार यह चक्र हमें ऊपर-नीचे, आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सब स्थानों पर अपना संदेश ले जाने का सन्देश देता है।

इस चक्र की चौबीस कांपे (ताड़ियाँ) होती हैं। हम ने समय को भी चौबीस घण्टों में विभाजित किया है, और चन्द्रमा भी वर्ष भर में चौबीस रूप धारण करता है। इस

लिए चक्र हमें हर समय, हर घण्टे और हर वर्ष सतत रूप से नवीन उत्साह के साथ अपने कार्य में संलग्न रहने की प्रेरणा करता है।

सब से पहले हम ने अपने तिरंगे झण्डे पर चक्र के स्थान पर चरखा बनाया था, परन्तु अब बहुत विचार के पश्चात् चक्र को अधिक उपयुक्त ठहराया गया, क्योंकि चरखा तो चक्र में सम्मिलित है ही, परन्तु वह प्रगतिशीलता का भी द्योतक है।

यों तो हम ने अपने प्यारे झण्डे के मान की रक्षा के लिए अनेक बार सत्याग्रह किया है परन्तु सन् १९२३ का नागपुर का "झण्डा—सत्याग्रह" प्रसिद्ध है। यह सत्याग्रह हमारे स्वातन्त्र्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। इस सत्याग्रह में केवल नागपुर में ही ३ सहस्र व्यक्ति काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से और कराची से से लेकर ब्रह्मा तक से आये थे और उन्होंने झण्डे के मान के लिए सहर्ष कारागार की यन्त्रणाओं को सहन करना स्वीकार कर लिया था। और अन्त में उन वीरों ने झण्डे को फहराने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। तब से ब्रिटिश साम्राज्य में भी झण्डा लहराने पर कभी प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया।

यह झण्डा हमारी धमनियों में सदैव नवीन शक्ति, प्रेम, उत्साह और स्फूर्ति का सञ्चार करता रहा है। इस झण्डे ने ही हमें त्याग, तपस्या और बलिदान का पाठ पढ़ाया है। भारतीय वीर स्वतन्त्रता के युद्ध में इस झण्डे के नीचे एकत्रित होकर हँसते-हँसते देश और धर्म्म पर अपने प्राणों की आहुति देते रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण दमन-चक्र, लाठियों के कठिन प्रहार और गोलियों की बौछार भी देश के प्रेम के मतवालों को अपने कर्तव्य-पथ से विचलित न कर सकती थी। वे स्वतन्त्रता-देवी के मंदिर में अपने झण्डे के मान की रक्षा के लिए अपने रक्त का अर्घ्य चढ़ा स्वतन्त्रता-देवी की अर्चना कर रहे थे। झण्डा उनका बल, उनका ध्येय और उनकी शांति का केन्द्र था।

१५ अगस्त सन् १९४७ का स्वर्ण दिन एक ऐतिहासिक दिन है। शताब्दियों की परतंत्रता के पश्चात् १५ अगस्त को हमार प्यारा भारत एक बार स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में १६ अगस्त को हमारे सर्व-प्रथम प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हमारे राष्ट्रिय झण्डे को लाल किले पर फहराया था।

आज वह लाल किले पर लहरा-लहरा कर भारत के गौरव की सूचना समस्त विश्व को दे रहा है।

हमारे यहां २६ जनवरी को तथा गांधी जी के जन्मदिवस आदि सभी राष्ट्रीय पर्वों पर झण्डा लहराया जाता है परन्तु क्या ही अच्छा हो यदि नगर के प्रत्येक मुहल्लों तथा बाज़ारों की सभाएँ यह काम अपने हाथ में ले लिया करें और एक ही तरह के और एक ही नाप के झण्डों से नगर का एक-एक भाग सुशोभित किया जाया करे। छोटे-बड़े झण्डों के फहराने से बाज़ार की शोभा जाती रहती है। झण्डा बनाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए :—

१. झण्डे का कपड़ा चाहे रेशम, खद्दर अथवा और किसी भी प्रकार का हो मज़बूत होना चाहिये।

२. झण्डे का रंग पक्का हो। राष्ट्रिय पर्वों में "ध्वाजारोपण" को खूब उत्साह से करना चाहिए। जीवित जातियां अपने त्योहारों को खूब धूमधाम से आज के दिन मनाती हैं। भारत के स्वतन्त्र हो जाने से हमारे झण्डे का महत्त्व संसार की दृष्टि में कहीं अधिक बढ़ गया है। वह केवल एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं है। समूचे भारत के प्राण तथा भावनाएँ उस में एकाकार हो गई हैं। हमें

प्राण देकर भी अपने झण्डे के मान की रक्षा करना सीखना चाहिए। उसका मान हमारा मान हो और उसका अपमान हमारा अपमान। झण्डे के अपमान का बदला वीर जातियां प्राण देकर चुकाना जानती हैं।

हम भी वीर हैं, हमारी धमनियों में भी वही राणा-प्रताप, वीरवर शिवाजी, झांसी की रानी, वीर भगतसिंह तथा वीराग्रणी सुभाष का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हम भी आन पर मर मिटना जानते हैं। अतः, आओ अपने प्यारे झंडे के नीचे एक बार एक स्वर से मिल कर गाएँ।

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा।
झण्डा ऊँचा रहे हमारा॥

सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम-सुधा सरसाने वाला।
मातृ-भूमि का तन-मन सारा, झण्डा ऊंचा रहे हमारा॥
शान न इस की जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए।
विश्व-विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा॥

झण्डा ऊँचा रहे हमारा

—

हमारे नागरिकता के अधिकार

जहां स्वतन्त्र विचार न बदलें मन में मुख में।
जहां न बाधक बने सबल निबलों के दुख में ॥
सबको सदा समान निजोन्नति का अवसर हो।
शान्ति-दायिनी निशा हर्ष-सूचक वासर हो ॥
सब भांति सुशासित हों जहां, समता के सुखकर नियम।
बस उसी स्वतन्त्र प्रदेश में, जागें हे जगदीश हम ॥

विश्वकवि टैगोर के पद्य का भावानुवाद
—रामनरेश त्रिपाठी

नागरिक के अधिकार

आज भारत एक गौरव-पूर्ण समुन्नत राष्ट्र है। १५ अगस्त १९४७ से पहिले के और आज के भारत में महान् अन्तर हो गया है। परतन्त्रता की दुःखभरी अन्धकारमयी रात्रि का अन्त होते ही स्वतन्त्रता के प्रभात में भारत के नागरिक को नवीन उत्साह, नवीन गौरव एवम् नवीन स्फूर्ति के साथ-साथ नवीन अधिकार भी मिल गए हैं। स्वतन्त्रता के मिलते ही भारत सरकार ने सब धर्म्मावलम्बियों और जातियों को विधि (कानून) की दृष्टि में समानता

का अधिकार दे दिया है। अस्पृश्यता को कानून के द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया है :—

आज हमारे शासन विधान के अनुसार भारतीय नागरिक के अधिकार निम्नलिखित हैं—

समता-अधिकार

१. भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा।

२. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक--

(क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के; अथवा

(ख) पूर्ण या आंशिक रूप में राज्य-निधि से पोषित अथवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा

सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन अथवा शर्त के अधीन न होगा।

(३) इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने में बाधा न होगी।

३. (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

(२) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्याधीन किसी नौकरी या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा।

४. "अस्पृश्यता" का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

स्वातन्त्र्य-अधिकार

५. सब नागरिकों को—

(क) वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का;

(ख) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का;

(ग) संस्था या संघ बनाने का;

(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का;

(ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का;

(च) सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का; तथा

(छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का।

अधिकार होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार

६. मानव का पणय और बेट बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबर्दस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबन्ध का कोई भी उल्लङ्घन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

७. चौदह वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को किसी कारखाने अथवा खान में नौकर न रखा जायेगा और न किसी दूसरी संकटमय नौकरी में लगाया जायेगा।

धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार

सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग को दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप

से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

९. भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी विभाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

१०. (१) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(२) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबन्ध में है।

सम्पत्ति का अधिकार

(११) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।

—

नागरिक के कर्तव्य

मनुष्य जहां जन्म लेता है, जहां का पवित्र जलवायु उसे जीवन-दायिनी शक्ति देता है, जहां के मनुष्य, पशु, पक्षी और स्वयम् प्रकृति उसके दुःख-सुख में चिरसंगिनी है उसी अपनी प्यारी मातृभूमि का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के कुछ विशेष कर्तव्य हैं।

१. हम भारतीय हैं

हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा देश है। अतः, हमारा सब से पहला कर्तव्य है कि हम जातीय भेद और धर्मभेद को अपने जीवन में स्थान न दें। धर्म हमारे व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखता है उसके और जाति-भेद के कारण हमारी राष्ट्रीय भावनाओं में बिल्कुल अन्तर नहीं पड़ना चाहिए। अपने विषैले हठ का दुष्परिणाम हम देख चुके हैं। हमारा प्यारा अखंड भारत आज खण्ड-खण्ड हो गया है। हमारे अपने ही हृदय के टुकड़े आज पराये बन गए हैं। प्रान्तीयता और जातिभेद को अपने जीवन में स्थान न दो। देश की उन्नति के लिए यह

बहुत हानिकारक है। नौकरी आदि में प्रान्तीयता और जात-पांत के स्थान पर गुणों पर ध्यान दो।

हमें चीन, जापान और स्विट्ज़रलैण्ड से शिक्षा लेनी चाहिए। चीन में मुसलमान, बौद्ध सब से पहले अपने को चीनी समझते हैं। चीन का अपमान उनका अपमान और चीन का गौरव उनका गौरव है।

जापान में ५०० मतमतान्तर पाये जाते हैं, परन्तु वहां पर भी धर्म उनके राष्ट्र-प्रेम में कभी बाधक नहीं बना।

स्विट्ज़रलैण्ड में तीन भिन्न जातियां हैं, और तीन प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं, फिर भी सभी स्विस नागरिकों को स्विट्ज़रलैण्ड एक समान प्रिय है।

क्या इतनी बड़ी हानि उठा कर भी अब हम संभल सकेंगे। याद रखो—

"हिन्दी हैं, हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा।
हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलिस्तां हमारा॥"

२. सदैव दीन-दुःखियों की सहायता करो

'यदि तुम्हारे पास दो कोट हों तो एक उसे दे दो जिस के पास कोट नहीं है।' —टालस्टॉय

अच्छे नागरिक कभी अपने जीवन में स्वार्थ-परता को

स्थान नहीं देते । त्याग, बलिदान और कर्तव्य-परायणता उनके जीवन के महा-मन्त्र होते हैं । अतः, सदैव जिन्हें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, उनकी सेवा तन, मन, धन से करो । दीन, दुःखी, दरिद्र, विधवा, अनाथ, अंगहीन तथा रोगी की सेवा ईश्वर की सेवा है । उन सब को ईश्वर की प्रतिमूर्ति समझो ।

३. विद्या-दान सब दानों से बड़ा है

अपने उन भाई-बहिनों को, जो अशिक्षित हैं, विद्या का दान दो । विद्या-दान सब दानों से बड़ा है । फिर यह ऐसा धन है जो देने से घटने के स्थान पर बढ़ता है । कवि के भावमय शब्दों में :—

सरस्वती के भण्डार में बड़ी अपूरब बात ।
ज्यौं-ज्यौं खरचे त्यौं-त्यौं बढ़े, बिन खरचे घट जात ॥

प्रत्येक शिक्षित नागरिक का कर्तव्य है कि साल में दो अशिक्षित व्यक्तियों को—चाहे वे माता, पिता, भाई, बहिन हों—और विशेषकर नौकरों और भंगियों को अवश्य ही पढ़ाना चाहिये ।

४. सदा स्वच्छता का ध्यान रखो

स्वच्छता एक दिव्य गुण है । शारीरिक और अन्तःकरण की स्वच्छता एक समान आवश्यक है । अपने घर, पड़ोस

और नगर की सफाई का पूरा ध्यान रखो। कभी कूड़ा-कर्कट इधर-उधर न डालो, वरन् कूड़े के लिए रखे हुए ढक्कनदार बर्तन में उसे डाल दो। कभी अपने घर का कूड़ा सड़क पर अथवा पड़ोस में न फेंको। वायुमण्डल एक है। गन्दगी से रोग के कीटाणु उड़-उड़ कर सर्वत्र फैल जाते हैं। इससे रोग फैलने का भय रहता है। पड़ोस और नगर की गन्दगी के प्रभाव से तुम भी बचे नहीं रह सकते। कभी इधर-उधर मत थूको। थूकने से भी रोग के कीटाणु फैलते हैं।

सड़क पर छिलके फैंकना बहुत बुरा है। केले के छिलके पर पैर रपटने के कारण कभी-कभी भयंकर दुर्घटना होते देखी गई है।

५. सड़क पर चलने के नियमों का ध्यान रखो

सदैव बाईं ओर चलो। मोटर अथवा तांगे में से सदा बाईं ओर उतरना चाहिए। आगे की ओर और दायँ तथा बायँ ओर देख कर सड़क पार करो। चौराहे पर सिपाही के संकेत का ध्यान रखो। यदि एक ओर से तांगा और दूसरी ओर से बस या तांगा आ रहा हो तो तुम जहाँ हो वहीं सड़क पर खड़े हो जाओ। जिस से ड्राइवर तुम्हें देख ले।

ट्रेन, बस, तांगे आदि में यात्रा करते हुए इधर-उधर की ऊटपटांग बातें कभी न करो। अपरिचितों से घरेलू बातें करना और पूछना उचित नहीं है। जब तक तुम्हारा पूर्ण परिचय न हो जाए कभी किसी की आमदनी न पूछो। मन लगाने के लिए किसी अच्छी पुस्तक का स्वाध्याय अथवा समाचार-पत्रों का पढ़ना सब से अच्छा है। बात-चीत करो तो सदैव ऐसे विषय पर करो जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े। सब समय प्रत्येक से तर्क मत करो। कभी खा कर फलों के छिलके और अखबार आदि ट्रेन में न फेंको। बड़े बड़े ट्रंक आदि ब्रेक में रखवाने चाहिएँ। ट्रेन में सिगरेट आदि नहीं पीनी चाहिए, हुक्के के लिए ट्रेन में आग सुलगाना भी बड़ी मूर्खता है। इनसे आग लगने का भय रहता है।

५. खाली समय कैसे व्यतीत किया जाए ?

समय अमूल्य है। जो समय बीत जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। अतः, सदैव अपने समय का सदुपयोग करो। स्वाध्याय, सत्संग, तथा उचित मनोरञ्जन मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देश के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता दो। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे, जो भी तुम्हें

पसन्द हों, अपने घर में अवश्य करो। इससे तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी और राष्ट्र को भी धन का और वस्तुओं का अभाव न रहेगा।

६. खाने का सब को समान भाग मिलना चाहिए

जब-जब देश में लाखों व्यक्ति भर-पेट खाना नहीं पाते, उस समय खाने को नष्ट करना भारी पाप है।

यदि ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो अपने गरीब भाई-बहिनों को भी अपने खाने का कुछ अंश देकर खाना खाओ। गीता में कृष्ण भगवान् ने लिखा है, जो खाना औरों को खिला कर खाया जाता है उस खाने को खाने से पुण्य होता है।

स्त्री घर की अन्नपूर्णा देवी है। उसका कर्तव्य है कि वह यह ध्यान रखे कि गुरुजन, बच्चे, अतिथि और सेवक समय पर और उपयुक्त भोजन पाते हैं। कभी बासी, तेज मसाले का रजोगुणी खाना नहीं खाना चाहिए। फल, हरी भाजी, दूध-दही, मक्खन आदि का सेवन करो। अच्छे खाने पर ही अच्छा स्वास्थ्य निर्भर करता है।

७. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श को अपनाओ

कभी किसी को छोटा मत समझो। अपने-अपने स्थान पर सब बड़े हैं। अतः, सब का मान करो और सबसे प्रेम

करो । हम सब एक ही परम पिता की सन्तान हैं, विश्व हमारा घर है और मानव-परिवार के हम सदस्य हैं यह सदैव स्मरण रखो ।

मातृ-शक्ति का सम्मान करो

मुहम्मद साहब ने एक बार कहा था कि मां के चरणों में ही स्वर्ग है । सचमुच नारी ही वीराग्रणी, देशभक्त, कवि, लेखक, चित्रकार, संन्यासी आदि सभी की जन्मदात्री है । अतः सदैव उसका सम्मान करो ।

मनु भगवान् ने लिखा है :—

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः ।"

अपने परिवार के व्यक्तियों को प्रसन्न रखो, क्योंकि परिवारों के समुदाय से समाज और समाज के समूह से राष्ट्र बनता है । फिर कहावत भी है :—

'घर में दिया जला के मन्दिर दिया जलाना ।'

सदाचार और नैतिक बल से ही देश का गौरव आँका जाता है

सदैव ऊंचे आचार-विचार रखो और सब से सद्-व्यवहार करो । दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम उन से अपने लिए आशा रखते हो । आज के दिन हमारे देश

का नैतिक स्तर बहुत नीचे गिर गया है। जिसे देख कर किसी भी देशवासी का हृदय रोए बिना नहीं रह सकता। ईमानदारी और सचाई का हमारे जीवन में अभाव हो गया है। अच्छे नागरिक के निम्नलिखित गुण हैं। परन्तु कितने नागरिक इन बातों का ध्यान रखते हैं।

अच्छे नागरिक के गुण :—

जीवमात्र से प्रेम करना, स्वतन्त्रता से प्रेम, मातृभूमि से प्रेम, बलिदान की भावना, निर्भयता, सत्य-प्रेम, साहस, नारी—मातृ-शक्ति का मान, धर्म्म-सहिष्णुता, सदैव प्रसन्न रहना और आत्मा के आदेशानुसार आचरण करना।

सदैव उपर्युक्त गुणों की प्राप्ति का यत्न करो।

आज के दिन हमारे अधिकांश चित्र-पट हमें अश्लीलता की ओर ले जा रहे हैं। उन में जा कर कभी धन का अपव्यय न करो।

अधिक नाच-रंग गान में समय नष्ट न करो। क्योंकि ऊँचे चरित्र के व्यक्ति राष्ट्र की सब से बड़ी सम्पत्ति हैं। जिस देश में चरित्रवान् व्यक्ति रहते हैं वह देश मर कर भी अमर रहता है।

कभी चोरबाज़ारी करके धन न कमाओ। सब से बड़ा

धन सचाई और ईमानदारी है। शुद्ध और उच्च कोटि की वस्तुएं बेचनी चाहिएँ। मिलावट करना बहुत बुरा है। याद रखो, ईश्वर तुम्हारे सब कार्यों को देखता है। संसार की दृष्टि से छिपा कर करने पर भी वह दुष्कृत्यों को देख लेगा। इसलिए कभी वह काम न करो जो तुम्हारी आत्मा को बुरा लगे। स्वावलम्बी बनो। अधिक आत्मप्रशंसा और क्रोध से सदैव दूर रहो। पराई स्त्री को अपनी माता अथवा बहिन के तुल्य समझो और पराये धन को लोष्ठवत् समझो। यदि देश पर शत्रु आक्रमण करे, तो देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणों की बाज़ी लगा दो। याद रखो, माँ केवल बाल्य-काल में पालन-पोषण करती है, परन्तु मातृभूमि मृत्यु हो जाने पर भी हमें आश्रय देती है। हमारे अन्तिम कण भी उसी की धूलि में मिल जाते हैं। अतः, मातृभूमि पर संकट आने की अवस्था में सदैव युद्धभूमि में यह गाते हुए अग्रसर हो जाओ।

माँ हमें विदा दो जाते हम,
विजयकेतु फहराने आज।
तेरी बलिवेदी पर चढ़ कर—
माँ, निज शीश कटाने आज।

नृत्य करेंगे रक्त-कुण्ड में—
अब अब रुण्ड हमारे आज।
अरु शिर गिर कर यही कहेंगे,
माँ, भारतभूमि हमारी आज।

हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य का जन्म बड़े पुण्यों से मिलता है। अतः, आओ हम सब मिल कर प्रतिज्ञा करें कि हम भारत के अच्छे नागरिक बनेंगे और अपने मानव-जीवन को सार्थक बनायेंगे।

सैनिक बनो

भारत में वीर-पूजा की प्रथा प्राचीन काल से चली आई है। भारत का वीर भारत का देवता है। यदि रामायण और महाभारत के काल को जाने भी दिया जाए तो भी हमें इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि भारत में एक पूरा जन-समुदाय अर्थात् प्रत्येक क्षत्रिय केवल सैनिक ही होता था। युद्ध उस के लिए खिलवाड़ था।

हमारा भारत का इतिहास ऐसे वीरता के दृष्टान्तों से भरा पड़ा है। सम्राट् अशोक की सेना उमड़ती हुई कलिंग पर आ पहुँची। कलिंग देश के सब वीर अपनी मातृभूमि की मान-रक्षा के लिए मर मिटने को तैय्यार थे। एक वीर आगे बढ़ा और सेनापति से कहा, "मुझे भी मातृभूमि की सेवा से वञ्चित न रखा जाए।"

सेनापति—"नहीं, तुम अपनी मां के एक-मात्र पुत्र हो, वह वृद्धा है। तुम्हारे बिना उसका जीविका-निर्वाह कैसे होगा।" युवक मन मार कर मां के समीप गया। मां ने कहा "बेटा, मेरा अन्त समय है,

जाओ और मातृ-भूमि की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाओ।"

वीर—अम्मा ! तुम्हारी देख-भाल कौन करेगा ?"

वृद्धा—भगवान् मेरा रक्षक है। जाओ, नहीं तो मुझे दुःख होगा।

वीर सेना में भर्ती होने के लिए गया और वृद्धा ने आत्म-हत्या कर ली। वह अपने लाल को देश-सेवा से वञ्चित न करना चाहती थी।

गत-वर्ष महायुद्ध में ऐसी ही कुछ एक घटनाएं जापान में भी घटित हुई थीं।

धन्य है वह देश जहां ऐसे देश-प्रेमी सैनिक हैं। ऐसे देश का गौरव और मान कभी कम नहीं हो सकता।

यदि भारत में पारस्परिक फूट न होती तो भारत को कोई भी शक्ति परतन्त्र न कर सकती थी। मुहम्मद गौरी को १७ बार पृथ्वीराज ने परास्त किया था।

परतन्त्र होते हुए भी पुरुष ही नहीं प्रत्युत भारतीय नारियों तक ने विदेशियों पर अपनी वीरता का सिक्का जमा लिया था। राणा प्रताप, राजसिंह, गोबिन्दसिंह, शिवाजी, राजपूताने की कितनी ही वीराङ्गनाएँ करुणा,

पद्मिनी आदि के नाम कभी विस्मृत नहीं किए जा सकते।

सन् १८५७ की क्रान्ति में तांतिया टोपी, झांसी की रानी आदि ने अपने अद्भुत पराक्रम से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे।

परन्तु समय कभी एक-सा नहीं रहता। जब भारत में सैनिक शिक्षा का अभाव नहीं था तभी भारत सब देशों का सिरमौर बना हुआ था। नियति के क्रूर चक्र, हमारी विलासप्रियता और हमारा आलस्य हमारे नाश के कारण बन गए और हम परतन्त्र हो गए।

हमारा भारत अब पुनः सदियों तक परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के पश्चात् स्वतंत्र हो गया है। उसके उत्थान और पतन पर हमारा भविष्य निर्भर है। सैनिकों पर ही देश की रक्षा तथा गौरव निर्भर है।

अतः सैनिक शिक्षा का होना परम आवश्यक है। दुर्भाग्य से भारत में पिछले १०० वर्षों से सैनिक शिक्षा की कमी रही, क्योंकि विदेशियों ने शस्त्र रखने और सिखाने की आज्ञा नहीं दे रखी थी। उन्हें भय था कि यदि भारतीय सैनिक शिक्षा में निपुण हो गए तो किसी समय भी हमें परास्त कर देंगे। १८५७ की क्रान्ति के पश्चात्

उन्हों ने सारे देश में ऐसे नियम लागू कर दिए थे कि बिना आज्ञा किसी के पास कोई शस्त्र न रहे। जो कोई चोरी से शस्त्र रखता था उसे कड़ा दण्ड दिया जाता था। जो लोग सेना में भरती हो जाते थे वे ही अंग्रेज़ों के निरीक्षण में कुछ सीख पाते थे। परतन्त्र भारत में सेना में भरती होना गौरव के स्थान पर एक प्रकार से मनुष्य का पतन समझा जाता था, इस लिए भारतीयों के लिए सेना में कोई विशेष आकर्षण न था। क्योंकि किसी ने कहा भी है :—

स्वारथ सुकृति, न श्रम वृथा, विहग देख सुविचार।
बाज पराये पाणि पर तू पंछिहि जनि मार॥

फिर भी भारतीय वीरों में बड़ी वीरता रही है।

पहले और दूसरे विश्व-युद्ध में अंग्रेज़ों के विजयी होने का श्रेय बहुत कुछ भारतीय वीरों को ही है। उनकी वीरता की धाक सारे संसार में बैठ गई थी। बहुत से वीरों ने 'विक्टोरिया क्रास' प्राप्त किये।

बर्मा पर जापानियों के आक्रमण को उन्हों ने ही रोका था। आज़ाद हिन्द फौज के सैनानियों की वीरता को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में भी उन्होंने बड़ी वीरता से देश की सेवा की तथा विजयी हुए। अब सैनिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं है। कितने

ही सैनिक शिक्षा के कालिज खुल गये हैं। इस समय सैनिक शिक्षा का विद्यार्थी देश का गौरव है। वह देश की भावी आशा तथा राष्ट्र-निर्माता है। अतः, अब तो हमें अपने भारत के लिए वीर सैनिक बनने को कटिबद्ध हो जाना चाहिए।

प्रत्येक विद्यार्थी को सैनिक-शिक्षण में निपुण होना चाहिए। कोई भी देश सदैव एक बड़ी सेना नहीं रख सकता। भारत तो एक गरीब देश है। वह तो छोटी सेना ही रख सकता है। शान्ति हो अथवा क्रान्ति प्रत्येक अवस्था में सैनिकों का विशेष महत्त्व है। अतः, प्रत्येक नागरिक को सैनिक शिक्षा में निपुण होना चाहिए, जिस से जब संकट पड़े तभी रक्षाहेतु एक बड़ी सेना बना ली जाए। दूसरे देशों में ऐसा किया जाता है। विपत्ति के समय सब अपने-अपने काम को छोड़ कर सेना में भर्ती हो जाते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में अपना गौरव समझते हैं।

सेना तीन प्रकार की होती है। १. जल सेना, २. वायुयान-सेना, ३ पद-सेना। जिस विद्यार्थी की जैसी रुचि हो वह उसी के अनुसार जल-सेना अथवा थल सेना की शिक्षा ले सकता है। सैनिक के हृदय में देश भक्ति का होना

परम आवश्यक है। शत्रु को देखते ही उसकी नसों में गर्म खून प्रवाहित होना चाहिए तथा मारने-मरने को प्रस्तुत हो जाना चाहिए। रण-भूमि से पीठ दिखाने के स्थान पर हँसते-हँसते देश की बलिवेदी पर अपने प्राण न्योछावर कर दे वही सच्चा सैनिक है। आशा है कि कुछ ही समय में हमारे देश में ऐसे सैनिकों का अभाव न रहेगा और हमारे देश का नाम जग में सूर्य की भांति चमकेगा।

—

देश की सम्पत्ति मत फूँको

भारत एक निर्धन देश है। यहां के बहुत से निवासी दोनों समय पेटभर अन्न तक भी नहीं पाते। परन्तु फिर भी हम देखते हैं कि देश की सम्पत्ति का अपव्यय बड़ी बुरी तरह से किया जाता है।

सिगरेट

आज के दिन सिगरेट पीना फ़ैशन में सम्मिलित हो गया है। ट्राम में जाइए, बस में जाइए अथवा रेल में यात्रा कीजिए सर्वत्र सिगरेट का प्रचार मिलेगा। किसी भी टी-पार्टी और दावत में जाइए, सिगरेट अवश्य दी जायेगी। कुछेक व्यक्ति जो सिगरेट पीना पसन्द नहीं करते उनको पुराने विचारों का ठहराया जाता है। उनके लिए सिगरेट के धूएं की जीमिचलाने वाली दुर्गन्धि से छुटकारा पा सकना असम्भव हो जाता है। वह अपनी कठिनाई किसी से कह भी तो नहीं सकते, क्योंकि सदा सिगरेट पीने वालों का बहुमत रहता है। भारतवर्ष में ६० प्रतिशत व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में तम्बाकू का सेवन

अवश्य करते हैं। यह व्यसन बड़े-बड़े नगरों से लेकर छोटे-छोटे ग्रामों तक में फैल चुका है। कुछ व्यक्ति तो इसके धूएं को अपनी चिन्ताएं भुलाने का साधन बतलाते हैं। ग्रामीण सिगरेट के स्थान पर हुक्का और बीड़ी पीना पसन्द करते हैं। हुक्के और बीड़ी में भी तम्बाकू ही होता है। यह एक प्रकार का मादक-द्रव्य है। जिस से मनुष्य को शराब के समान नशा तो नहीं होता, परन्तु इस को पीने वाला व्यक्ति अपनी इस लत को आसानी से छोड़ नहीं सकता।

पिछले दस वर्षों में सिगरेट का प्रचार पहिले से कहीं अधिक हो गया है। युद्ध से पूर्व भारतवर्ष में केवल ६० हज़ार अरब सिगरटें पी जाती थीं परन्तु गत वर्ष ५० लाख से अधिक भारतीयों ने लगभग डेढ़ लाख अरब सिगरटें पी डालीं। भारत में ४० करोड़ से लेकर ५० करोड़ रुपया तक प्रति वर्ष केवल सिगरेट मे ही फूंक दिया जाता है। हुक्का, शराब, गांजा, अफ़ीम आदि मादक-द्रव्यों की गणना तो इससे पृथक् ही है। शिक्षा-प्रचार के लिए भी हम प्रति वर्ष इस से अधिक धन देश में व्यय नहीं कर पाते। रोगों की चिकित्सा के लिए केवल इस धन का आठवां भाग ही हम खर्च कर पाते हैं। प्रति वर्ष दस करोड़ से अधिक रुपया हम सिगरेटों के आयात और

आबकारी टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं। गत वर्ष बीस लाख की सिगरटें हम ने विदेश से मँगवाई थीं। आसाम में सिगरेट सब से अधिक फूंकी जाती हैं। दूसरा नम्बर बम्बई का और तीसरा नम्बर बंगाल का है। विभाजन से पूर्व सिंधी सब से अधिक सिगरेट पीते थे। ट्रावनकोर में सिगरेट सब से कम पी जाती हैं।

बीड़ी को भी एक प्रकार से सिगरेट ही का प्रतिरूप समझना चाहिए। मिलों में काम करने वाले मज़दूर भी बीड़ी पीना बहुत अधिक पसन्द करते हैं। वह सस्ती भी है और नशीली भी कुछ अधिक होती है। सिगरेट पर जो मज़दूर दो आना प्रति मास व्यय करता है वह बीड़ी पर अहमदाबाद में ३) मासिक और बम्बई में १ रुपया १५ आने मासिक तक व्यय कर देता है।

इन आंकड़ों को देख कर किसी भी देश-प्रेमी का हृदय शोक के आँसू गिराए बिना नहीं रह सकता। यदि यह धन देश की उन्नति के किसी अच्छे कार्य में लगाया जा सकता तो क्या ही अच्छा होता।

सिगरेट की हानियां

सिगरेट कितनी नाशकारी वस्तु है, इसका अनुमान प्रायः जन साधारण नहीं लगा पाते। वह पीने वाले के

मस्तिष्क और शरीर दोनों को जर्जर कर देती हैं। कभी-कभी सिगरेट पीने वाले की छोटी सी भूल से भयङ्कर दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। कुछ वर्ष हुए स्यालकोट के न्यायालय (कचहरी) के लाखों रुपये के भवन और सम्पत्ति राख की ढेरी में परिणत हो गए। किसी सिगरेट पीने वाले ने जलती हुई सिगरेट वहीं पर डाल दी थी। वायु की तेज़ी से भीषण अग्नि दहक उठी। सिगरेट पीने वाला उस समय यह न जानता था कि उसकी छोटी सी भूल से इतना भीषण नाश हो जायेगा।

कुछ ही दिन हुए, इसी प्रकार जापान में अतामी नामक स्थान पर गर्म पानी के झरनों के निकट सिगरेट ने भीषण नाश का दृश्य उपस्थित कर दिया था। कहा जाता है कि वहां पर लगभग एक करोड़ की सम्पत्ति राख हो गई। कभी-कभी इस प्रकार के आकस्मिक अग्निकाण्ड में बहुत से व्यक्तियों के प्राण भी चले जाते हैं। क्या इन दुर्घटनाओं को देख कर सिगरेट पीने वाले अब भी चेतेंगे? भारत-ऐसे दीन देश में सिगरेट पी कर देश की सम्पत्ति को फूंकना केवल पीने वाले का अपने ही प्रति अन्याय नहीं है, वरन् राष्ट्र के प्रति भी अन्याय करना है। जिस के लिए वह उत्तरदायी है।

भारत में तम्बाकू की उत्पत्ति

सचमुच, वह बड़ा ही दुर्दिन था जब कि सन् १५०८ में पुर्तगालवासियों ने सर्व-प्रथम तम्बाकू का पौधा लाकर भारत में आरोपित किया था। बहुत दिनों तक भारत में संसार के तम्बाकू का चौथा भाग उत्पन्न होता रहा परन्तु विभाजन के पश्चात् अब यह उपज आधी रह गई है।

सिगरेट की फैक्टरियां

लगातार चेतावनी दिये जाने पर भी आज के दिन भी भारत की सिगरेट बनाने की शक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है। यहां पर लगी हुई मशीनें प्रति-वर्ष ३ लाख अरब सिगरेट बना सकती हैं पर बनाती वह कम ही हैं। यों तो सारे भारत में सिगरेट बनाने के कारखाने हैं। परन्तु बम्बई, कलकत्ता और सहारनपुर में इसकी बहुत ही बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं। यदि सिगरेट की फैक्टरियों के स्थान पर यह रुपया किसी और उद्योग-धन्धे में लगाया जाता तो देश की कितनी अधिक सम्पत्ति के बढ़ाने में वह सहायक हो सकता था।

हुक्का

गांववाले गांव में ही तम्बाकू उत्पन्न कर हुक्का पीते हैं। हुक्के के विषय में एक बड़ी मनोरञ्जक

कहानी प्रचलित है। हुक्के के आविष्कारक को हुक्का पीते देख कर एक बार उसका नौकर बहुत घबरा गया। और आग लगी हुई समझ कर उसने उस पर बहुत सा पानी लाकर डाल दिया।

परन्तु आज के दिन हुक्का एक साधारण सी वस्तु हो गई है। छोटे-छोटे बच्चे तक हुक्का या सिगरेट पी कर अपना स्वास्थ्य नष्ट करते दिखाई देते हैं। हम तो यह कहेंगे कि शराब-बन्दी के समान सिगरेट-बन्दी का आन्दोलन भी पूर्ण शक्ति के साथ होना चाहिए।

क्या धूम्र-पान करने वाले इस ओर ध्यान देंगे ?



हमारे शत्रु

हमारा देश जिसे कभी जगद्गुरु होने का श्रेय प्राप्त था, आज बहुत से देशों से उन्नति के क्षेत्र में पीछे रह गया है। अज्ञान, निर्धनता, जात-पांत तथा मत-मतान्तरों की फूट के कारण आज वह अपना पूर्व का गौरव खो बैठा है। इस पतन का कारण हैं हमारे शत्रु :—अज्ञान, अन्धविश्वास, भय, मुक्ति के पीछे पागलपन आदि। इन सब में भी सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। हमारे यहां इसीलिए गायत्री-मन्त्र का सब से अधिक महत्त्व है, क्योंकि उसमें सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। अज्ञान मनुष्य के विवेक और बुद्धि पर ताला लगा कर उसके विचार संकीर्ण कर देता है। वह अनुचित और उचित का निर्णय करने में असमर्थ हो जाता है। अज्ञान जिस देश में फैल जाता है वह देश रसातल को चला जाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है उस की उन्नति की भी कोई सम्भावना नहीं रह जाती। कूप-मण्डूक की-सी उस की दशा होती है। अज्ञानी मनुष्य स्वयम् को स्वयम् पहिचानने में असमर्थ हो

जाता है। वह अन्धविश्वास के फेर में पड़ कर झूठे देवताओं की पूजा करने लगता है।

सच्चा ईश्वर हृदय में वास करता है और कर्तव्य-पालन ही उस तक पहुँचने की सच्ची सीढ़ी है। पर आज हम देखते हैं कि पण्डे-पुजारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कितनी ही भोली-भाली बालाओं को अपने फन्दे में फँसा लेते हैं और कितनी ही बार कितनी ही अच्छे घराने की स्त्रियों को भी अपने सतीत्व से हाथ धोना पड़ता है। यह लेख लिखते हुए अयोध्या के मन्दिर की एक घटना का स्मरण हो आता है, जहां पर पण्डों की काली करतूत के कारण ७०० स्त्रियाँ वहाँ के तहखाने में बन्दिनी बना ली गई थीं। एक बार एक बहुत बड़े सेठ की सेठानी की भी, जो कि बहुत अधिक आभूषणों से सुसज्जित थी, यही गति हुई। सेठ जी का प्रभाव कम न था। पुलिस ने सेठानी जी का पता लगाने में दिन-रात एक कर दिया और तब कहीं वहां के पण्डे-पुजारियों की नीचता का भण्डा-फोड़ हुआ।

यदि महमूद गज़नवी के आगमन पर इस अन्धविश्वास के कारण वहां के पण्डे-पुजारी न बैठे रहते कि सोमनाथ जी स्वयम् अपनी रक्षा करेंगे तो कदाचित् भारत का इतिहास आज के दिन दूसरा ही होता। मेले में जाइए, मन्दिर में

जाइए, गंगा-स्नान पर जाइए सब कहीं यही अन्धविश्वास का कुपरिणाम देखने को मिलता है। एक जलूस के आते ही भीड़ पागल हो उधर ही दौड़ने लगती है, जिसके परिणाम-स्वरूप कितनों को ही अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। कुम्भ के पर्व पर यदि एक साथ हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए सब व्यक्ति चेष्टा न करते तो कदाचित् ३२ व्यक्तियों को मृत्यु का ग्रास न बनना पड़ता। गंगा का जल सभी स्थानों पर समान है। सुशिक्षित व्यक्तियों तक को भी इस प्रकार के अन्धविश्वासों में ग्रस्त देखकर तो आश्चर्य को भी आश्चर्य होता है। आज के दिन भी हम कितने ही व्यक्तियों को टोने-टोटके करते पाते हैं, परन्तु याद रखिए दूसरे का अनिष्ट करके कभी अपनी भलाई नहीं हो सकती। करनाल जिले की एक घटना है कि एक नवाब के कोई सन्तान न थी। उसकी स्त्री को किसी सयाने ने बतलाया कि तुम यदि किसी बच्चे के रुधिर में रंग कर दुपट्टा ओढ़ो तो तुम्हारे सन्तान हो सकती है। सन्तानेच्छा ने उस स्त्री को राक्षसी बना दिया। अपने पति के घनिष्ट मित्र की लड़की के शरीर में पहले सयाने के द्वारा रोम-रोम में सूई चुभवा दी और फिर उसे मरवा कर खून में रंगा हुआ दुपट्टा पहना। क्या ऐसी स्त्री

कभी सन्तान पाने की अधिकारिणी है, जिसने मातृ-हृदय पाया ही नहीं है। इसीलिये अज्ञान-अविद्या और अन्ध-विश्वास को अपना सबसे भयङ्कर शत्रु समझो। कभी भूत, प्रेत तथा झूठे देवी-देवता में विश्वास न करो।

आतङ्क भीषण शत्रु है

आतङ्क को कभी अपने जीवन में स्थान न दो। सदैव निर्भय रहो और साहसी बनो। आतङ्क के फैलने से कभी-कभी बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। जो राष्ट्र आतङ्कित हो जाते हैं, वे युद्ध में परास्त हो जाते हैं। साहसी व्यक्ति के साथ सदैव विजय रहती है। अरब देश में प्रसिद्ध एक लोक-कथा में आता है कि एक बार एक महामारी से ख़लीफ़ा ने पूछा कि तुम्हारे कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? उसने कहा—'केवल ५ सहस्र व्यक्तियों की।' ख़लीफ़ा ने कहा—यह संख्या तो ठीक नहीं है। ५० सहस्र व्यक्ति काल-कवलित हो गए हैं। "किन्तु उनकी मृत्यु का कारण भय है" महामारी ने उत्तर दिया। सचमुच भय ही मृत्यु है।

रूढिवाद में न फंसो

संसार प्रगति-शील है। नित्य नव उन्नति की ओर वह अग्रसर होता जा रहा है, अतः कभी भी रूढिवाद के

चक्कर में न पड़ो। जो परम्परा से होता आया है वही होना चाहिए यह समझना भारी भूल है। जो अच्छा है वह ग्रहण करो भले ही वह प्राचीन हो अथवा अर्वाचीन। यदि हम रूढिवाद में फंसे रह कर बाल-विवाह, सतीदाह आदि कुप्रथाओं को न छोड़ते तो राष्ट्र की कितनी हानि होती। इसी प्रकार अछूतोद्धार, स्त्री-शिक्षा आदि को न अपनाना भी हानिकारक था।

पिछलग्गू न बनो

बिना सोचे-विचारे अनुकरण करने की प्रवृत्ति बुरी है। असत्य आचार-विचार से बचो। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह मनुष्य के पांच बड़े शत्रु हैं। ईर्ष्या, द्वेष करने से मनुष्य स्वयम् अपनी ही हानि करता है। इन सबको अपनी उन्नति के पथ में कण्टक समझो, और इन पर सदैव विजय पाने की चेष्टा करो।

अनुशासन की आवश्यकता

अनुशासन की कमी को अपना वैरी समझो। अनुशासन की जिस देश में कमी है वह देश कभी नहीं उठ सकता, जिस जाति में कमी है उस जाति का पतन अवश्यम्भावी है। जिस घर में अनुशासन की कमी है वह घर भी कभी नहीं पनप सकता। शिक्षित व्यक्तियों में

अनुशासन होता है। वे कभी पंक्ति भङ्ग करके धक्का-मुक्की नहीं करते। व्याख्यान में हुल्लड़बाजी नहीं मचाते। सेना-पति के आदेश को यदि सेना न माने, तो कितना विध्वंस-कारी परिणाम हो। अतः अनुशासन में रहना सीखो।

अधिक तर्क न करो

बहुत अधिक तर्क करने का स्वभाव बुरा है। अत्यन्त तर्क से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सत्य बात कहो, परन्तु अधिक तर्क के द्वारा उसे अप्रिय न बनाओ। विश्वास का भी अपना महत्त्व है। जहां अन्ध-श्रद्धा और अन्ध-भक्ति बुरी है वहां विश्वास का अभाव उससे भी बुरा है।

मुक्ति के पीछे पागल न बनो

याद रखो मुक्ति माला फेरने में नहीं है, वरन् कर्म-योग में है। संसार में रहो परन्तु कमल के पत्र की भाँति अपना जीवन बनाओ। जल में रहते हुए भी कमल-पत्र का स्पर्श तक जल नहीं कर पाता।

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि॥
(गीता २,४७)

कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है फल की इच्छा न रखो। यही सच्ची मुक्ति है।

ढोंगी साधु और भिखारी

ढोंगी साधु और भिखारी राष्ट्र के शत्रु हैं। भगवे वस्त्र पहिन कर जो संसार को ठगते फिरते हैं, तथा कुछ भी कार्य न करके निठल्ले पड़े चरस-गांजा पीते हैं वे देश के शत्रु हैं, उनसे बचो। माला फेरने से ईश्वर नहीं मिलता, इसीलिए कबीर जी ने लिखा है—

"कर का मनका डारि कै मन का मनका फेर।"

भिक्षा-वृत्ति बुरी है। गीता में लिखा है—"कुपात्र को दान देने से दाता और भिक्षुक दोनों का ही नाश हो जाता है।" कभी कुपात्र को दान न दो, परन्तु अंग-हीन, दीन-दुःखी की सदैव सहायता करो। भिक्षा-वृत्ति कानून के द्वारा बन्द हो जानी चाहिए और वृद्ध, दुर्बल तथा रोगियों के लिए सहायता-गृह खोले जाने चाहिएँ।

निठल्ले धनाढ्य देश के शत्रु हैं

जो धन पाकर न दान करता है और न उपभोग उस का धन नष्ट हो जाता है। धन पाकर देश की उन्नति में लगाओ।

नेतृत्व के पीछे न फिरो

व्यर्थ में दूसरों की दृष्टि में अपने को बड़ा दिखाने की चेष्टा न करो। व्यर्थ की लीडरी में कुछ नहीं रखा है।

सच्चा नेता कभी मान की इच्छा नहीं रखता। तुलसीदास जी के शब्दों में "सबहिं मान-प्रद आपु अमानी" के आदर्श को अपनाओ। व्यर्थ के व्याख्यान देने से कोई बड़ा नहीं होता। अपनी आत्मा को धोखा न दो। वास्तव में महान् बनो।

मदिरापान और नाच-रंग

मदिरा-पान और नाच-रंग को शत्रु समझो इनसे सदैव दूर रहो और इनमें कभी धन का अपव्यय न करो। इन रोगों में जो फँस जाता है उस का स्वास्थ्य, मस्तिष्क, धन, बुद्धि, मान सभी चौपट हो जाता है।

प्रान्तीयता, जाति-भेद और धर्मान्धता

प्रान्तीयता, जाति-भेद और धर्मान्धता को अपना वैरी समझो, ये राष्ट्र की और समाज की उन्नति में समानरूप से बाधक हैं।

अस्वच्छता को शत्रु समझो

गन्दगी सब रोगों की जड़ है। अतः, स्वच्छता का सदैव ध्यान रखो। मानसिक और शारीरिक स्वच्छता समान रूप से आवश्यक है। अतः कभी अस्वच्छता को अपने पास न फटकने दो।

नौकरशाही के पुर्ज़े न बनो

सत्य कहने में कभी संकोच न करो। अनुशासन रखो, परन्तु कभी अनुचित अनुशासन के फेर में न पड़ो। लाल पगड़ी से भयभीत होना बुरा है। सरकारी अफ़सर होकर अपने भाइयों से अपने को ऊंचा न समझो, वरन् यह समझो कि तुम उनके सेवक हो।

ये तुम्हारे महाशत्रु हैं

(१) रूढिवाद।

(२) प्रत्येक कार्य्य सरकार के ऊपर छोड़ना। जैसे सड़क पर गधा मरा पड़ा है परन्तु सरकार का काम समझ कर उसे उठवाने में विलम्ब करना।

(३) दूसरे देशों पर शासन करने की प्रवृत्ति।

(४) अपने ही अपने में मस्त रहने की भावना। संसार से बिल्कुल पथक् रह कर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता।

(५) स्वतन्त्रता मिलने का यह अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों के अधिकारों को कुचल कर मनचाही करो। अपने अधिकारों की रक्षा करो, परन्तु दूसरे के अधिकारों का भी ध्यान रखो।

(६) धन के सांप बनने की वृत्ति।

कभी धन के लिए चोरबाज़ारी, धोखाबाजी न करो। धन का अर्थ है सच्ची प्रसन्नता की प्राप्ति।

ऊंचा चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है; अतः अपने चरित्र को ऊंचा बनाओ जिस को देख सब अनुकरण करें। जो जैसे आचार-विचार रखता है उसकी छाप उस के मुख पर पड़ने लगती है। इसीलिए महात्मा गांधी को देखते ही स्वतः पापियों का भी मस्तक नत हो जाता था। अतः, ऐसे कार्य्य करो कि तुम्हारे मुख से तेज, शान्ति एवम् सौम्यता की किरणें प्रस्फुटित होती रहें।

मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। अतः, ऐसा आचरण करो कि जब मृत्यु तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम उसका एक परम-मित्र के समान स्वागत कर सको। सारा विश्व तुम्हारे लिए रुदन करे, परन्तु तुम मुस्कराते हुए अनन्त पथ की यात्रा करो, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है:—

"तुलसी" जग में तब भये जग हँसे तुम रोय।
ऐसी करनी कर चलो तुम हँसो जग रोय॥

और उस समय कवीन्द्र के समान कह सको।

दया तुम्हारी परम दयामय।
क्षमा तुम्हारी परम क्षमा-मय॥

बन जायेगी इस यात्रा में।
चिर पाथेय अहो उद्धारक ॥
सभी मरण-बन्धन जायें घर।
विश्व विराट-बाहु में ले भर ॥
आज महा-अज्ञात से अहो।
निर्भय परिचय हमें कराओ ॥

और याद रखो—

जान लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी।
मरो परन्तु यों मरो याद जो करें सभी ॥
हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिये।
मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिये ॥

श्रम का गौरव

मालिक और मज़दूर

"आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचेरत् ।"

—महाभारत

—"जो कार्य आपको अपने लिए विपरीत प्रतीत होते हैं, उन कार्यों को दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए ।"

"दूसरों से जिस व्यवहार की आशा रखते हो, वही तुम उनके साथ भी करो, क्योंकि ईश्वर का यही आदेश है ।"

—बाइबिल

चीनी महापुरुष कन्फ्यूशस ने इसी नियम को यों कहा है—"दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें ।"

बुद्ध और यहूदी धर्माचार्य हिलेल का भी यही आदेश था। किन्तु सहस्रों वर्ष बीत जाने पर भी मनुष्यों ने न तो स्वयं इस नियम का पालन किया न अपनी सन्तान को उसकी शिक्षा दी । आधुनिक युग में मिल-मालिकों और मज़दूरों के बीच में सद्भावना उत्पन्न करने के लिए यह

नियम हमारा पथ-प्रदर्शक बन कर एक महान् सङ्कट से हमारी रक्षा कर सकता है।

आधुनिक युग में मालिक और मज़दूर के सम्बन्धों का महत्त्व

यह विज्ञान का युग है। घरेलू उद्योग-धन्धों का हमारे देश में बहुत अधिक महत्त्व है परन्तु मानव-मस्तिष्क ने जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जो आविष्कार किए हैं उनसे वह अवश्य लाभ उठाएगा और उठाना चाहिए भी। विद्युत्-शक्ति से परिचालित बड़े-बड़े कारखाने मनुष्य की विकसित बुद्धि का ही प्रमाण हैं, जिन्होंने आधुनिक सभ्यता के विकास में प्रमुख भाग लिया है। किन्तु साथ ही मज़दूर और मालिक के पारस्परिक सम्बन्धों को एक राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री के लिए विकट समस्या भी बना दिया है। उद्योग-धन्धों की उन्नति और उनकी उन्नति के साथ देश की उन्नति मालिक और मज़दूर के सहयोग पर निर्भर करती है। किन्तु दुर्भाग्यवश प्रायः वे दोनों आज प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खड़े हैं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही अपना गौरव समझे बैठे हैं। यह बड़ी ही लज्जाजनक तथा शोचनीय अवस्था है।

मालिकों का कर्त्तव्य

हेनरी जॉर्ज लिखते हैं—किसी भी चीज़ को पैदा करने के लिए मानव-श्रम की पहले आवश्यकता होती है। जो मनुष्य ईमानदारी से और भली प्रकार मेहनत करता है, वह धनवान् होना चाहिए और जो ऐसा नहीं करता वह ग़रीब होना चाहिए। किन्तु हमने प्रकृति के क्रम को ऐसा बदल दिया है कि हम श्रम करने वालों को दरिद्र समझने लगे हैं...। यही कारण है कि जो कारख़ानों पर अधिकार जमा बैठा वह धनवान् और जो उन कारख़ानों में अथक परिश्रम करके माल बनाता है, वह फटेहाल बना हुआ है। मिल मालिकों का कर्त्तव्य है, कि इस समस्या पर विचार करें और गांधी जी के शब्दों में अपनी सम्पत्ति को जनता की धरोहर समझें।

यह ठीक है, कि उत्पादित माल पर एक दृष्टि से मिल मालिकों का भी न्याययुक्त अधिकार है। क्योंकि कारखाने में व्यवस्था रखने, मज़दूरों को एकत्र करके काम कराने, माल के ख़रीदने और बेचने आदि में वे पर्याप्त श्रम करते हैं। पर उनका कर्तव्य है, कि अपने लाभ को सीमित रखें। मज़दूरों को उचित वेतन दें और तय्यार वस्तु का भाव ठीक रखें, जिस से जनसाधारण को उससे लाभ उठाने

में कठिनाई न हो। इसके बाद जो रुपया बचे, उसे मजदूरों के रहने के स्तर को ऊँचा उठाने में लगाएँ। अच्छे मकान और उनकी सफ़ाई, स्वास्थ्य के लिए प्रबन्ध, चिकित्सा, मातृगृह, मनोरञ्जन के साधन, बड़ों और बच्चों की शिक्षा, दुर्घटनाओं को रोकने का प्रबन्ध, वृद्धावस्था के लिए पैन्शन आदि कार्य इस श्रेणी में आ जाते हैं।

सब से अधिक आवश्यक बात मित्रवत् प्रेमपूर्ण व्यवहार है, जिससे मज़दूर को मालिक की उपस्थिति में हीनता का बोध न हो। उनके लिए मिल मालिक राबर्ट ओवेन का उदाहरण आदर्शरूप है, जिसने १८३० ई. के लगभग 'समाजवाद' शब्द का पहले पहल प्रयोग किया और अपने मिल भाईयों में मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए आन्दोलन किया। उसने ब्रिटिश पार्लिमेंट से मजदूरों को मालिकों के लालच और स्वार्थपरता से बचाने के लिए पहला क़ानून पास कराया।

मालिकों का कर्त्तव्य है कि उनके और मज़दूरों के बीच जो अप्राकृतिक दीवार खड़ी है उस को तोड़ डालें और केवल शब्दों में ही नहीं, वरन् वस्तुतः उनको अपना भाई स्वीकार कर लें। अपने जीवन-क्रम को बदल दें, अपनी सुविधाओं और विशेषाधिकारों को तिलाञ्जलि दे दें और उसके बाद जनता के समकक्ष खड़े हों और आम लोगों

के साथ शासन, विज्ञान और समता के वरदानों को प्राप्त करें।

मज़दूरों के कर्त्तव्य

मज़दूरों में आजकल यह प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल हो उठी है, कि वे अधिकारों की मांग तो करते हैं परन्तु अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। अधिकार और कर्त्तव्य में अन्योन्याश्रय का सम्बन्ध है। प्रत्येक अधिकार की नींव में कर्त्तव्य छिपा है।

हमारे देश का मज़दूर अन्य औद्योगिक देशों के मज़दूरों की अपेक्षा कम काम करता है। अनुपस्थिति बहुत अधिक है। अनावश्यक छुट्टियां मांगने और काम से जी चुराने की प्रवृत्ति अत्यन्त लज्जाजनक है। मजदूर को अपने काम में दिलचस्पी लेनी चाहिए और उसे पूरी योग्यता से करना चाहिए। मज़दूरी करना केवल रोटी के प्रश्न को हल करना ही नहीं है, वरन् यह तो राष्ट्र-सेवा का गौरवपूर्ण कार्य है। मज़दूर के श्रम से उत्पन्न वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ही देश का स्वास्थ्य, वैभव तथा गौरव अवलम्बित है और इसी के आधार पर हमारा देश अन्य देशों के सामने सिर ऊँचा रख सकता है।

संघ बनाने का अधिकार

मज़दूरों को अपने हितों की रक्षा में सामूहिक प्रयत्न

करने के लिए संघ बनाने का अधिकार है। किन्तु संघ को हितकारी कामों में लगाना चाहिए। मज़दूरों को मालिकों से लड़ाते रहना और उनसे कोई छोटा-सा अधिकार पा लेने पर विजय-गर्व से फूल उठना ही संघ का उद्देश्य न हो। यदि मज़दूरों में कोई दोष है, तो इस ओर भी उनका ध्यान आकर्षित करना इस संस्था का उद्देश्य होना चाहिए।

हड़ताल की हानियाँ

क़ानून तथा समाज ने मज़दूरों के हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसके यह अर्थ नहीं हैं कि अनावश्यक रूप से हड़तालें की जाएँ। इनसे राष्ट्र का बड़ा अहित होता है। अनेक बार तो यही कहावत लागू होती है, "खोदा पहाड़ निकली चुहिया"। अकारण ही मज़दूर और मालिक के सम्बन्धों में खिंचाव उत्पन्न होता है। मज़दूरों को वेतन नहीं मिलता इसलिए वे और उनके परिवार भूखे मरते हैं। उत्पादन की कमी से सारा देश हानि उठाता है। बहुत बार पुलिस आती है, गोलियां चलती हैं और हत्याकाण्ड होता है। झूठी शान समझौता नहीं होने देती। गॉल्सवर्दी ने Strige में हड़ताल की हानियों का बड़ा ही स्वाभाविक और शिक्षाप्रद चित्र अङ्कित किया है। यह एक भयानक अस्त्र है। इसे किसी बहुत बड़े लाभ के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए।

यदि हम हड़तालों के पुराने इतिहास पर दृष्टि डालें, तो देखेंगे कि अधिकांश हड़तालें ऐसे झगड़ों पर हुई, जिन्हें बड़ी आसानी से मालिक और मज़दूर सुलझा सकते थे। परन्तु सद्भावना और एक दूसरे को समझने की चेष्टा के अभाव में उन हड़तालों के बड़े भयानक परिणाम निकले।

हड़ताल के अतिरिक्त अन्य साधन

वर्क्स कमेटी, कॉन्सिलिएशन बोर्ड्स्, लेबर कोर्टस्, इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल्स तथा पञ्च नियत करना आदि ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा सरकारी सहायता से वड़ी शान्ति और सरलता से समझौता किया जा सकता है।

हमारी सरकार श्रमिकों के कष्ट दूर करने की चेष्टा कर रही है। अभी हाल में ही इम्पलाइज़ स्टेट इन्शोरेन्स एक्ट, मिनीमम वेज़िज एक्ट, फैक्टरीज एक्ट, फंक्शन एक्ट, इन्डस्ट्रीयल डिस्पीऊटस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, पास किए गए हैं और बेकार आदमियों को नौकरी दिलाने के लिए इम्पलौयमैंट एक्सचेन्ज खोले गये हैं। मज़दूर अपने प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का ध्यान अपने कष्टों की ओर आकर्षित करा सकते हैं, और राष्ट्रिय सरकार अवश्य ही उन्हें दूर करेगी। इस प्रकार मालिकों और मज़दूरों के प्रेमपूर्ण सम्बन्धों के आधार पर भारत दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जाएगा।

सहयोग का चमत्कार

जापान का सब से धनी गांव

धन मनुष्य की सब से बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। धन के बिना न राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है और न सामाजिक में। कोई कितना भी त्यागी और तपस्वी क्यों न हो उसे भी देश-सुधार के कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः, देश को धनी और वैभवशाली बनाना देश की सब से बड़ी सेवा है। जापान के नोमदानी ग्राम का उदाहरण हमारे समक्ष है। महायुद्ध की भीषण लपटों से विध्वस्त और खण्डहर हुआ जापान पुनः सांस लेता-सा जान पड़ रहा है। उसने पांच वर्ष के थोड़े से समय में ही सराहनीय उन्नति कर ली है और अपने पूर्व गौरव को शीघ्रता से प्राप्त करता जा रहा है। इस ओर नोमदानी ग्राम ने सब से अधिक सराहनीय प्रयत्न किया है। यह उनके पारस्परिक सहयोग और अथक परिश्रम का ही फल है कि यह नोमदानी जापान का सब से धनी ग्राम बन गया है।

हमारे देश में यह भावना फैली हुई है कि केवल नगर ही धन कमाने के केन्द्र हैं। हमारे गाँव के लोगों को नोमदानी ग्रामवासियों का अनुकरण करना चाहिये जिन्होंने ग्रामीण होते हुए भी देश की आर्थिक उन्नति में अपना उदाहरण देश के सम्मुख रखा है। हमारे देश की भी ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है।

नोमदानी गाँव की जनसंख्या ४७०० है। यहां के जापानी कृषक बैंक की स्थानीय शाखा में ३३,०००,००० यैन बचत कोष में जमा हैं।

सरकार से बिना सहायता लिये गाँववालों ने अपने लिए एक नया "टाऊन हॉल" बना लिया है जो वास्तव में एक मंजिला व्यापारिक कार्यालय है।

उन्होंने एक स्कूल भी जिस में ३०० विद्यार्थी हैं और एक हस्पताल जिस में आठ वार्ड हैं बनवा लिये हैं। १,०००,००० यैन के मूल्य का एक आग बुझाने वाला इञ्जन और चार हाथ से चलने वाले आग बुझाने के पम्प खरीद लिये गये हैं। और कई, प्रकार के मनोरंजन केन्द्र भी स्थापित कर लिये हैं।

स्थानीय कृषक संघ की ओर से इस गाँव में दो डाक्टर, दो नर्स और एक दाँतों का डाक्टर है। इसी संघ की

ओर से स्थानीय स्कूल के ३५ अध्यापक हैं जिन का स्थान जापान के सब से अधिक वेतन पानेवाले अध्यापकों में है। हस्पताल का उपयोग बहुत ही कम होता है। क्योंकि यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। यहाँ १९० से अधिक व्यक्तियों की आयु ७० वर्ष से ऊपर है। और १३०० बच्चे १६ वर्ष की आयु से कम हैं। जिन में अधिकतर शिशु हैं।

गाँव के व्यक्ति ८२० घरों में रहते हैं जिन में से १८० घरों में टेलीफोन लगे हुए हैं। कोई भी घर गन्दे स्थान पर नहीं है। ५६० घरों के व्यक्ति या तो पूर्णतया अथवा भागशः खेती-बाड़ी करते हैं।

ग्रामीणों को अपने १६ भागयुक्त वादित्रस्थल 16 Piece orchestra पर अत्यन्त गर्व है। जिस को वे अपनी सांस्कृतिक उच्चता की सर्वश्रेष्ठ देन समझते हैं। जब कृषक और कारखाने के मज़दूर अपने बचे हुये समय में इसका अभ्यास करते हैं तो यह ऑरकेस्टरा उत्तम संगीत के बहुत सुन्दर राग प्रस्तुत करता है। यहाँ नये व्यापारों में तम्बाकू उगाना और डेयरी का कार्य होता है। जो कि १९५२ में चालू किये गये थे और जिन पर अभी प्रयोग किये जा रहे हैं।

कर (टैक्स) की अधिकता

अपने आकार के सभी समुदायों में सब से धनाढ्य होने के कारण नोमदानी के लोगों को जहां कई लाभ हैं वहां केन्द्रिय सरकार को दिया जाने वाला कर भी बहुत अधिक है।

परन्तु इतना अधिक कर देने के पश्चात् भी गांववालों को अपना निर्वाह करने में कोई कठिनाई नहीं है। वास्तव में तो यहां पर बचाने के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए भी बहुत बच रहता है।

सन् १९४९ में गांव की कुल आय लगभग ४२०,०००,००० यैन थी। जिसमें से ३००,०००,००० यैन कपड़े के व्यापार द्वारा प्राप्त हुए थे। लगभग ८० प्रतिशत आय तो कर देने में ही लग गई और केवल ८०,०००,००० यैन बचे। इसमें से लगभग १५,०००,००० यैन बैंक में बचत रूप में दे दिया गया और बाकी सारा गाँव की उन्नति के लिए स्कूल आदि भवनों तथा आग बुझाने के इञ्जिनों पर व्यय किया गया।

नोमदानी गांव के कपड़े सम्बन्धी उद्योग-धन्धे लगभग १६० वर्ष पूर्व गांव की स्त्रियों के लिए केवल सहायक उद्योग-धन्धे के रूप में आरम्भ किए गए थे।

इस उद्योग-धन्धे के लिए सर्व प्रथम स्वर्ण अवसर पहिले महायुद्ध के दिनों में आया जब कि समस्त जापान योरुप के लड़ने वाले राष्ट्रों के लिए कपड़ा बनाने में व्यस्त था। उसी समय जापान ने संसार के समस्त कपड़ा व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जोकि लगभग ३० वर्ष तक अर्थात् इसके महायुद्ध के प्रारम्भ तक स्थायी रहा।

सन् १९३९ में केवल नोमदानी ने १२,००० गज़ रंगदार कपड़ा और १६,८९६,००० गज़ अन्य प्रकार का कपड़ा बनाया। इस कपड़े के लिए बड़ी-बड़ी मण्डियां क्रमानुसार डच ईस्ट इन्डीज़, लंका, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैण्ड थीं। कपड़े के व्यापार और सोयाबीन की मिठाई बनाने में यह ग्राम अपना उदाहरण आप ही हैं।

इन ग्रामीणों के पास ८० कारें और ट्रक तथा १६०० साईकलें भी हैं। ये सब आँकड़े इस आकार के जापानी समुदाय के लिए बहुत अधिक हैं। और नोमदानी को अपनी इस अद्वितीयता के लिए गर्व है।

इस ग्राम की उन्नति का श्रेय श्री टैमेडा को है। जो एक साहसी, प्रतिभाशाली नवयुवक है। यदि हमारे देश के ग्रामीण भी इस का अनुकरण करें तो देश सुख-समृद्धि-शाली बन सकता है।

उद्योग-धन्धे

भारत में घरेलू उद्योग-धन्धों से अनुमानतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष केवल १५), इङ्गलैंड में १०००) और अमरीका में १६००) आय होती है। उपरोक्त आंकड़ों से ज्ञात हो जाता है कि जिस देश ने सुन्दर से सुन्दर कला-कौशल चलाए और जिसका माल संसार भर की मंडियों में आज से तीस सहस्र वर्ष पूर्व जाता था, आज वही देश उद्योग-धन्धों में दूसरे देशों से कितना पीछे है। देश की निर्धनता का एक बड़ा कारण उद्योगों में न्यूनता है।

अमरीका और इङ्गलैंड के अतिरिक्त जापान, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, चैकोस्लोवेकिया, बैल्जियम, स्विटज़रलैण्ड देश भी हम से उद्योग-धन्धों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं।

उद्योग-धन्धे दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो बड़े-बड़े कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा लाखों करोड़ों रुपये की लागत से चलते हैं। दूसरे वे जो घरों में थोड़ी सी पूञ्जी से चलाये जा सकते हैं। उदाहरण के रूप से पंजाब में धारीवाल के ऊनी कपड़े के कारखाने की बड़े उद्योग-धन्धों में गणना की जाती है। परन्तु लुध्याने में

खड्डियों पर कपड़ा बुनने की छोटी-छोटी मशीनों पर जुराबें बनाने, साइकलों के पुर्जे बनाने, कुल्लू में शाल बनाने, गांव गांव में जूते, रस्से व टोकरियां व खिलौने बनाने आदि-आदि घरेलू उद्योग-धन्धे कहलाते हैं।

बाज़ारों में जापानी फाउन्टेन पैन, घड़ियां, कंघे, ताले, स्याही, बटन, पैंसिल, पिन, चाकू, कैंची, बल्ब इत्यादि सैकड़ों छोटी-छोटी वस्तुएँ प्रतिदिन देखने में आती हैं। ये सब वस्तुएँ वहां घरों में बनाई जाती हैं। इसी लिए जापान को छोटे-छोटे कारखानों का देश कहा जाता है। जापान प्रतिवर्ष करोड़ों, अरबों रुपये का माल दूसरे देशों को भेजता है। इसमें से ९० प्रतिशत माल छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धों के द्वारा तैयार होता है। इन घरेलू कारखानों में माता-पिता, बच्चे, सम्बन्धी सभी काम करते हैं। दिन के समय उनका घर एक छोटे से कारखाने का दृश्य उपस्थित करता है। सायंकाल को काम समाप्त होते ही सब औज़ार और सामग्री अल्मारियों में बन्द कर दिए जाते हैं और वही कमरा निवास-गृह बन जाता है। जापान के लोग केवल बांस से १४०० प्रकार की वस्तुएं घरों के अन्दर बनाते हैं। छात्र और छात्राएं पाठशाला के समय के पश्चात् अपने घरों के उद्योगों में अपने माता-पिता का

हाथ बंटाते हैं। वहां आठ-आठ और दस-दस वर्ष के बच्चे भी काम करते हैं।

चीन स्विट्ज़रलैण्ड तथा चैकोस्लोवेकिया में भी घरेलू उद्योग-धन्धों के द्वारा लाखों मनुष्य अपनी उदर-पूर्ति करते हैं और साथ ही उन देशों को करोड़ों रुपयों का लाभ होता है।

भारत के किसान आधा वर्ष बेकार रहते हैं। जब उन्हें खेती के काम से अवकाश होता है तो वे उसे गप्पें लगाने और हुक्का पीने अथवा लड़ाई झगड़ों में व्यतीत करते हैं। सब किसान अवकाश के समय में निम्नलिखित लाभदायक कार्य कर सकते हैं:—

१. सूत कातना।
२. कपड़ा बुनना।
३. आचार मुरब्बे, व सूखी भाजियां तैयार करना।
४. मूल्यवान फलों को बागीचों में उत्पन्न करना।
५. छोटी-छोटी मशीनों द्वारा बीजों से तेल निकालना। ये मशीनें हाथों से चलाई जा सकती हैं।
६. मोमबत्तियां बनाना।
७. मिट्टी, कागज़ और कपड़े के खिलौने गुड़िया आदि बनाना।
८. जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं तैयार करना।
९. शहद की मक्खियां पालकर शहद तैयार करना।
१०. सिल्क के कीड़े पालकर सिल्क तैयार करना।

११. दूध, दही, मक्खन, पनीर तैयार करना ।
१२. गोंद तैयार करना ।
१३. कढ़ाई बुनाई का काम, फीते बुनना आदि । इन कार्यों में लड़कियां विशेष रूप से सहयोग दे सकती हैं ।
१४. दियासलाई बनाना ।
१५. हाथ का कागज बनाना ।
१६. मुर्गियां पालकर अंडों का व्यापार करना ।
१७. बांस तथा लकड़ी की वस्तुएं बनाना ।

इनके अतिरिक्त अन्य सैकड़ों वस्तुएं गाँवों में घर-घर में बन सकती हैं । ये सब वस्तुएं छोटे छोटे औज़ारों से अथवा छोटी छोटी मशीनों पर बनाई जा सकती हैं । इन औजारों और मशीनों पर बहुत थोड़ा पैसा खर्च होता है। यदि हमारे घरों में ये उद्योग धन्धे स्थापित हो जाएं तो लोगों के समय का अच्छा उपयोग हो और उनकी आय बढ़ जाए। साथ ही देश का करोड़ों रुपया विदेशों में जाने से बच जाए। हमारे विद्यालयों में भी अनेकों छोटे छोटे उद्योग-धन्धे स्थापित हो सकते हैं जिनको हमारे बच्चे सीख सकते हैं और अपने घरों में जाकर उन्हीं उद्योग-धन्धों को चला सकते हैं ।

धन का सदुपयोग

नीति-ग्रन्थों में मनुष्यों के लाभ की एक बड़ी बात कही गई है—शुभ कर्मों के करने से लक्ष्मी आती है, आई हुई लक्ष्मी का चतुराई और सावधानी से सदुपयोग उसे बढ़ाता है। चतुर होने पर वह कभी साथ नहीं छोड़ती और सधा हुआ जीवन बनाने से लक्ष्मी प्रसन्न होकर सदा बनी रहती है। इस प्रकार धन प्राप्त करना जितना कठिन है, उससे कहीं अधिक कठिन उसका उचित उपयोग करना है। यह भी एक कला है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्त्व है।

जीवन की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति

धन का सब से बड़ा उपयोग इसलिए है कि वह मनुष्य की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिनके बिना उसका जीवन असम्भव है। स्वास्थ्यप्रद भोजन, धूप और शीत से बचाने तथा लोकाचार की रक्षा के लिए समयानुकूल वस्त्र, अच्छा घर इस श्रेणी में आजाते हैं। इसके अतिरिक्त

कुटुम्ब के पालन-पोषण का उत्तरदायित्व प्रत्येक गृहस्थ पर होता है। भोजन और वस्त्र के ही समान बच्चों के मानसिक विकास के लिए और उन्हें योग्य नागरिक बनाने के लिये शिक्षा देना भी उतना ही आवश्यक है। इन कामों के लिए खुले दिल से खर्च करना चाहिये।

मनोरञ्जन के साधन

मनुष्य यन्त्र की तरह केवल काम करने के लिए ही नहीं बना है, और न केवल भोजन-वस्त्र की ही प्राप्ति से उसे सन्तोष हो सकता है। उसे विधाता ने 'मन' नाम की वस्तु दी है, जिसका उसके जीवन में प्रमुख भाग है। मन की इच्छाओं की पूर्ति भी शरीर के अन्य अङ्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के समान ही आवश्यक है। नृत्य, सङ्गीत, नाटक, सिनेमा, सरकस, खेल आदि हमारे मनोरञ्जन के आधुनिक साधन हैं। चित्र बनाना, तैरना, नाव चलाना और घोड़े की सवारी करना भी कुछ लोग पसन्द करते हैं। इन वस्तुओं के लिए धन का व्यय अवश्य होना चाहिए किन्तु हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यह कहीं व्यसन का रूप धारण न कर लें और इन चीज़ों में धन और समय का अपव्यय न हो।

रोग तथा वृद्धावस्था के लिए धन जमा करना

धन का तीसरा उपयोग शारीरिक दुर्बलता की अवस्था के लिए उसे बचा कर रखना है। सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों के लिये पैन्शन, प्रॉवीडेन्ट फण्ड, बीमारी के लिए आधे वेतन की छुट्टी आदि की सुविधा है। अन्य लोग यदि धन जमा न करें, तो बुढ़ापे में भूखों मरने की नौबत आ जाए। बच्चों की उच्च-शिक्षा विवाह तथा अन्य कामों के लिए भी धन जमा करना आवश्यक होता है। इसके लिए सब से अच्छा ढंग बीमा करना है। बीमा जीवन भर का भी कराया जा सकता है और किसी निश्चित आयु के लिये भी। विवाह तथा अन्य किसी विशेष काम के लिए तथा आग आदि दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सम्पत्ति और मकान आदि का बीमा भी कराया जा सकता है।

बीमे का यह लाभ है, कि आकस्मिक मृत्यु के समय बच्चों को धन मिल जाता है। मासिक किश्त देने से थोड़ी आमदनी वाले को अधिक कठिनाई नहीं होती। बीमा कम्पनी के पास रुपया जमा रहने से यह लाभ होता है, कि देश के उद्योग-धन्धों में वह व्यय किया जा सकता है, और इस प्रकार देश की उन्नति होती है। अन्य देशों में

इसका बहुत प्रचार है, परन्तु हमारे देश में यह अभी गाँवों तक नहीं पहुँचा है । बीमा कम्पनियां अच्छी संख्या में हमारे देश में भी हैं और बीमा कराना धन का अच्छा उपयोग है ।

समाज सेवा के लिए धन का उपयोग

मनुष्य सामाजिक-प्राणी है । वह समाज से बहुत कुछ ग्रहण करता है । उसके ऋण से उऋण होने के लिए तथा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी यह आवश्यक है, कि प्राप्त किये हुए धन का कुछ अंश वह जनसेवा में व्यय कर दे । अनाथालयों, शिक्षण-संस्थाओं, बाढ़-पीड़ितों आदि की सहायता के लिए दान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त पञ्जाब तथा बङ्गालप्रवासी बन्धुओं की सेवा जैसे राष्ट्रिय सङ्कट के अवसर पर अपने दैनिक व्यय में से भी कमी कर के हमें धन देना चाहिए ।

महात्मा गांधी कहते थे कि करोड़ों रुपए खुशी से कमाओ, किन्तु यह समझ लो कि वह करोड़ों रुपए तुम्हारे नहीं, वरन् आम जनता के हैं । हमें तो केवल अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए उसमें से थोड़ा सा खर्च करने का अधिकार है । बाकी सारे धन का उपयोग समाज के लिए ही करना है ।

पुराने समय की बात है कि एक बार एक राजा किसी किसान की झोंपड़ी में जा पहुँचा। किसान ने बड़े प्रेम और सेवाभाव से जो कुछ उसके पास था वह राजा को खिलाया। राजा ने पूछा—भाई, तुम्हारी आमदनी कितनी है ? किसान ने बड़े सन्तोष और सुख से कहा—एक रुपया रोज़। राजा ने पूछा कि एक रुपए का तुम क्या करते हो। किसान बोला—भैय्या, चार आने में अपने और अपनी पत्नी के खाने में ख़र्च करता हूँ, चार आने बच्चों के खिलाने पहनाने में लगाता हूँ अर्थात् कर्ज़ देता हूँ कि बुढ़ापे में मुझे मिल जाए। चार आने से कर्जा चुकाता हूँ अर्थात् अपने माता-पिता की सेवा में लगाता हूँ और चार आने जमा करता हूँ अर्थात धर्म के कामों में लगा देता हूँ। धर्म में लगाया हुआ धन—अर्थात् जन-सेवा और राष्ट्रहित में व्यय किया गया पैसा सदा जमा रहता है और जरूरत होने पर दुगना चौगुना होकर मिलता है।

धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए

शराब, सिगरेट, हुक्का आदि मादक द्रव्यों के सेवन में धन का नाश करना मूर्खता है। इससे स्वास्थ्य और बुद्धि दोनों का नाश होता है और देश की स्थाई हानि होती है।

जूआ, व्यभिचार आदि व्यसनों से भी सदा बचना चाहिए। अँधाधुन्ध फ़ैशन के चक्कर में पड़ना उचित नहीं।

सट्टे से धन की वृद्धि नहीं होती। केवल एक हाथ से दूसरे हाथ में परिवर्त्तन होता रहता है और अधिकतर तो सैंकड़ों हजारों हाथों से छिन कर एक हाथ में धन एकत्र हो जाता है। इसलिए ऐसे व्यापार से सदा बचना चाहिए।

विवाह, वृद्ध की मृत्यु तथा अन्य उत्सवों पर यथा-शक्ति धन व्यय करना चाहिए किन्तु दिखावे के लिए घर फूंक तमाशा देखना किसी प्रकार भी उचित नहीं है।

चीन ने इस ओर सराहनीय पग उठाया है। वहां के कुछ नगरों में सामूहिक-विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई है। वहां नगरपालिका के अध्यक्ष के पास विवाह के लिए प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है। इस प्रार्थना-पत्र के साथ केवल ५) भेजे जाते हैं। दिनाङ्क निश्चित हो जाने पर अध्यक्ष वर-वधुओं को बुला कर विवाह का प्रमाण पत्र दे देता है। और सबकी टी-पार्टी हो जाती है। नगर का अध्यक्ष वर-वधू से हाथ मिलाता है और उन्हें विवाह का प्रमाण-पत्र दे देता है। यह एक अच्छी प्रथा है, इसका अनुकरण भारत में भी होना चाहिए।

धन दबा कर रखना बहुत बुरा है

पुरानी कहावत है कि दबे हुए धन पर सांप बैठ जाता है। इसका भाव यही है कि धन दबा कर न रखो, वरन् उसे काम में लाओ। घर में गड़ा हुआ धन आग लगने, चोरी हो जाने आदि सङ्कटों का कारण तो रहता ही है, उसके स्वामी को भी उससे कुछ लाभ नहीं होता। नेशनल सेविङ्ग सर्टिफ़िकेट, डाकखाने, कोऑपरेटिव बैङ्क, साधारण बैङ्क आदि में रुपया जमा करके बचे हुए धन को राष्ट्र के उपयोग में लाने का अवसर दिया जाता है और स्वयं भी व्याज से लाभ उठाया जा सकता है। बड़े-बड़े कारखाने, रेलें देश-विदेश से व्यापार और संक्षेप में सरकार का सारा काम ही ऐसे रुपये से चलता और चलना चाहिए। यह भी देश-सेवा का एक प्रमुख अङ्ग है।

उपसंहार

लक्ष्मी चञ्चल है। इसलिए बहती गंगा में हाथ धो-लेने चाहिएँ। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को धन के विषय में बड़े काम का उपदेश दिया है। विधाता ने यज्ञ अर्थात् देवपूजा, सत्संग, परोपकार, प्रेम और सेवा के लिए पुरुष को बनाया है। इसलिए अपने धन को सेवा और परोपकार के यज्ञ में लगा देना चाहिए। अपने भोग-विलास में ही धन लगाना अच्छाई का रास्ता नहीं है।

सुखी परिवार

सुखी-परिवार वास्तव में स्पृहणीय है। वह स्वर्गीय सदन के तुल्य है, और वहां निरन्तर स्वर्गीय-सुखों की वृष्टि होती रहती है। वहां स्वयम् लक्ष्मी और ऋद्धि-सिद्धि वास करती हैं। जो भी वहां आता है, वह वहां की निरन्तर बहने वाली आनन्द-मन्दाकिनी में स्नान कर तृप्त हो जाता है।

१. वर-वधू का चुनाव

स्त्री और पुरुष के सम्मिलन से परिवार का श्रीगणेश होता है। विवाह के द्वारा एक नवीन परिवार की नींव डाली जाती है। 'विवाह कैसा हो'—इस पर ही दाम्पत्य जीवन का भावी सुख निर्भर करता है। सब से प्रथम बात तो यह है कि पूर्ण तरुणावस्था होने पर ही कन्या और कुमार का विवाह हो। दोनों पूर्णसुशिक्षित, स्वस्थ और सदाचारी हों। दोनों की रुचि का ध्यान रखा जाए।

माता, पिता तथा गुरुजनों की सम्मति का पूर्ण सम्मान किया जाए, क्योंकि उनका सांसारिक अनुभव बच्चों से कहीं अधिक होता है।

सच्चा विवाह हृदय का हृदय से और आत्मा का आत्मा से चिर-मिलन है ।

कवि के भावमय शब्दों में—

मेरा धर्म्म "विवाह-बन्धन को,"
नाता अमर बनाता है ।
जन्म जन्म में भी जो बन्धन,
नहीं टूटने पाता है ॥
यह दैहिक संसर्ग न केवल,
सौदों का है नहीं करार ।
हर्जा दे कर तज देने का,
यहां नहीं कोई व्यापार ॥
यहां धर्म का बन्धन है,
है दो प्राणों का सम्मेलन ।
एक धार में मिल जाते हैं,
होकर एक युगल तन मन ॥

आज के दिन भारत की विवाह-प्रथा का महत्त्व बहुत से विदेशी भी समझते जा रहे हैं । भारतीय गृहस्थ जीवन अब भी अन्य देशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुखमय है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है । आए दिन के विवाह-विच्छेद ने अन्य देशों के विवाहित जीवन की शृंखला को

एकदम विशृंखल कर दिया है। किन्हीं अनिवार्य कठिन परिस्थितियों में भले ही विवाह-विच्छेद उचित हो, परन्तु इसे सब दुःखों के मिटाने का साधन नहीं कहा जा सकता।

२. विवाह के पश्चात्

वर-वधू को पहले एक-दूसरे को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मधुर भाषण, सेवा, प्रेम, कर्त्तव्य-परायणता, आत्म-त्याग तथा सहनशीलता को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना चाहिये। उन दोनों को परस्पर एक-दूसरे में अपने अस्तित्व को इस प्रकार लय कर देना चाहिए जैसे हल्दी और चूना दोनों परस्पर मिलकर अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं और अपने से कहीं सुन्दर लाल रंग की सृष्टि कर देते हैं।

३. शिशु प्रेम की ग्रन्थि है

बच्चे को प्रेम की ग्रन्थि बतलाया गया है। संसार के कण्टकाकीर्ण मार्ग में चलते हुए जब हमारा हृदय ऊब उठता है तो बच्चे की अमृत-मयी मधुर मुस्कान हमारे मार्ग के कांटों को सुमन में परिणत कर देती है। बिना बच्चे के घर सूना-सा लगता है। वह माता-पिता के प्रेम और गुणों की साकार प्रतिमा है। सुन्दर

योग्य और हृष्ट-पुष्ट बच्चे जिस घर में होते है वहां आनन्द और सुख की कमी नहीं रहती ।

आत्म-संयम आवश्यक है

परन्तु विवाहित-जीवन के सुख का मूल-मन्त्र आत्म-संयम में है । आत्म-संयम के बिना स्वास्थ्य और मस्तिष्क सबका नाश हो जाता है । अधिक और रोगी बच्चों की उत्पत्ति गृह के सारे सुखों पर पानी फेर देती है । अतः, बच्चे कम और अच्छे होने चाहिएं । बच्चे राष्ट्र-निर्माता और राष्ट्र का वैभव हैं । अतः, उन्हें गुणवान् बना कर हम पारिवारिक सुख की ही वृद्धि नहीं करते, वरन् राष्ट्र की सेवा करते हैं । अतः, सदैव संयमी जीवन व्यतीत करो । काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के पाँच बड़े शत्रु हैं, इनसे दूर रहने पर सुख की कमी नहीं रहती । दूसरों के सामने मन पर संयम रखो । क्रोध आने पर भी एकान्त में शान्ति से प्रकट करो । घर की बुराई अथवा घरेलू बातें कभी दूसरों से न कहो ।

प्रेम और पारस्परिक सहयोग आवश्यक है

"जाहि लही कछु लहन की, चाह न हिय में होय ।
जयति जगत पावन करन. प्रेम-वरन वर दोय ॥"

धन्य है वह घर जहां पति-पत्नी, माता-पिता तथा

बच्चों का पारस्परिक प्रेम है, जहां बड़े छोटों का पूर्ण ध्यान रखते हैं, उनकी उचित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जहां बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं तथा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। जिस घर में प्रेम नहीं वह घर नहीं, भूतों का डेरा है। वहां पर न सुख है न विद्या है न लक्ष्मी। पारस्परिक-प्रेम के लिए आवश्यक है आत्म-त्याग, कष्ट-सहिष्णुता, कर्तव्य-परायणता तथा सेवा की भावना। याद रखो,

यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नांहि।
शीश उतारे भुंई धरे, तब पैठे या मांहि॥

—कबीर

अति खीन मृणाल के तारहुँ तैं,
तेहि ऊपर पांव दे आवनो है।
सुंई बेह को बेधि सकें न तहां,
परतीति को टांडो लदावनो है।
कवि बोधा अनी धनी जिहुँ
चढ़ि तेहि पै चित्त न डुलावनो है।
यह प्रेम की पन्थ करार है री,
तलवार की धार पै धावनो है।

—बोधा

प्रत्येक घर के सदस्य को पारिवारिक विपत्ति अपनी

विपत्ति समझनी चाहिए और उसके निवारण के लिए तन, मन, धन से जुट जाना चाहिए। अपने अहम् भाव को त्याग देना चाहिए। दूसरे की बात को सुन कर उस पर ध्यान देना सीखना चाहिए। क्योंकि,

''जब 'तू' है तब मैं नहीं, जब 'मैं' हूँ तू नाहिं।
प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाहिं॥''

आर्थिक सुव्यवस्था आवश्यक है

जिस घर में धन का अभाव होता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। गृहस्थ की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन आवश्यक है। कबीर ऐसे सन्त भी कह गए हैं-

साधो एता दीजिये, जा में कुटुम्ब समाय।
मैं भी भूखा न रहूँ, साध न भूखा जाय॥
—कबीर

जलसंकोच विकल भए मीना।
विबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना॥
—महाकवि तुलसीदास

अतः, घर की आय को बढ़ाने की भरपूर चेष्टा करनी चाहिए।

इसके पश्चात् गृहिणी का कर्त्तव्य है कि वह घर का सञ्चालन ऐसे सुचारु रूप से करे जो आमदनी में खर्च होने

के पश्चात् बीमारी, विवाह, शिक्षा आदि आवश्यकताओं के लिए कुछ-न-कुछ बचा भी रह सके।

जिस घर की गृह-स्वामिनी चतुर और सुयोग्या है वहां सुख की कमी नहीं रहती।

विद्वान् रस्किन ने लिखा है कि जहां स्त्री है वहीं घर है, फिर चाहे ऊपर सुनील आकाश और नीचे घास के अतिरिक्त कुछ भी न हो। स्त्री के लिए केवल आज्ञा मानने वाली अनुचरी ही होना पर्याप्त नहीं है, वरन् उसे बुद्धिमती, विवेक-युक्ता, सुन्दर, स्वस्थ मस्तिष्क वाली गृह-स्वामिनी होना चाहिए। जो दुःख-सुख में, वर्षा में, आतप में, अकाल में, सुकाल में, सब संकटों पर एक विजयिनी शक्ति सिद्ध हो। संतोष, धैर्य्य, सुशीलता और अपनी नम्रता से वह आर्थिक संकट पर भी विजय पा सके। इसी प्रकार पुरुष को भी उसकी कठिनाइयों को समझना चाहिए। गृहस्थ के कार्य्यों में रात-दिन संलग्न रहने के कारण जब वह थकी-मांदी हो तब उसे कुछ न कहना चाहिए, वरन् प्रेम से सान्त्वना देनी चाहिये, यह समझना चाहिये कि आर्थिक संकट उसके कारण तो है नहीं। अतः, धनाभाव से उत्पन्न घर की अव्यवस्था पर उससे लड़ना भारी भूल है। दोनों को पारस्परिक सहयोग के द्वारा विपत्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिये। हमारे देश में आर्थिक-संकट

बहुत अधिक है और इसके कारण ही बहुत से पारिवारिक-जीवन दुखःमय हो गये हैं। जीवन के लक्ष्य—सत्यम्, शिवम् और सुन्दरम् के आदर्श को अपनाओ।

ऊंचे-विचार रखो सरल और सादा जीवन बिताओ

परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ऊंचे विचार रखने चाहिएं। और सादगी और सरलता को अपने जीवन में विशेष स्थान देना चाहिए। क्योंकि Simple living and high-thinking is the best policy. कभी धन का अपव्यय मत करो। मनोरञ्जन के लिए कभी-कभी सिनेमा आदि जाने में बुराई नहीं है, परन्तु उन्हें व्यसन के रूप में नहीं अपनाना चाहिए।

आदर्श-गृहस्थ जीवन

स्वामी विवेकानन्द ने गृहस्थ जीवन पर अपने कर्म-योग में एक कहानी लिखी है। कहानी इस प्रकार है:—एक बार किसी जिज्ञासु ने पूछा कि गृहस्थ जीवन अच्छा है अथवा संन्यास? गुरु ने कहा दोनों का अपने-अपने स्थान पर समान महत्त्व है। पहले गुरु उसे एक राजकुमारी के स्वयम्बर में ले गया। वहां एक युवक संन्यासी के गले में जो अद्वितीय सुन्दर था राजकुमारी ने जयमाला डाल दी, परन्तु सुन्दर राजकुमारी और धन का प्रलोभन भी

युवक संन्यासी के मन को बिल्कुल विचलित न कर सके और वह सबके रोकने पर भी वहां से एकदम चला गया।

इसके पश्चात् वह एक पेड़ के नीचे अपने शिष्य को ले गया। वहां एक कबूतर कबूतरी का जोड़ा और तीन बच्चे रहते थे। अतिथियों को आया देख कर कबूतर ने कहा—"आज घर में खाने को कुछ नहीं है, अतः मैं नीचे गिर पड़ता हूँ जिससे अतिथियों की क्षुधा शान्त हो।" गृहिणी बोली—"नहीं आपके बिना बड़ी कठिनाई हो जायगी, मैं कूदती हूँ।" वह कूदने को तैय्यार हो गई। बच्चे कहने लगे—"नहीं अम्मा! हम कूदेंगे आपके बिना घर को कौन संभालेगा"। सब बच्चे पहिले कूदने का आग्रह करने लगे। कबूतर बोला—"नहीं तुम सब के बिना घर में चहल-पहल ही नहीं रहेगी।" परन्तु फिर भी एक-एक कर के सब बच्चे कूद पड़े और कबूतर कबूतरी भी कूद गये जिससे अतिथियों की क्षुधा शान्त हो सके। गुरु ने कहा, "देखो ऐसा गृहस्थ-जीवन भी संन्यास के बराबर है। यहां सबका पारस्परिक प्रेम और आत्म-त्याग स्पृहणीय है। अतः, जिस परिवार में प्रेम, त्याग और एक दूसरे की भावनाओं का आदर होता है वही सुखी परिवार है, धर्म, अर्थ काम, और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति वहीं सुलभ है।

सड़क के नियम

आज के दिन मोटर, साईकल, आदि की दुर्घटनाएँ असाधारण बात नहीं रही हैं। प्रातः समाचार पत्र को उठाइये, कहीं-न-कहीं यह लिखा हुआ अवश्य मिल जायेगा कि आज उस स्थान पर मोटर-दुर्घटना, अथवा साईकल दुर्घटना हो गई है। किसी भी बड़े नगर में प्रतिदिन दो तीन तांगे, मोटर, साईकल आदि की दुर्घटनाएँ हो ही जाती हैं। कभी-कभी दुर्घटनाओं से बहुत अधिक हानिएं हो जाती हैं। यहां तक कि कितनी ही बार मृत्यु तक हो जाती हैं। अनेक बार बहुत अधिक चोट भी लग जाती है जिस से हाथ-पैर की हड्डी टूट जाती है। कभी-कभी मोटर तांगा आदि उलट जाते हैं। और व्यर्थ में ही हज़ारों रुपए की हानि उठानी पड़ती है। इन सब दुर्घटनाओं के होने का कारण यह है कि हम सड़क पर चलने के नियमों का पालन नहीं करते।

सड़क पर चलने के नियम

सड़कों के ऊपर मोटर, साईकल, आदि सवारी भी चलती हैं और पैदल मनुष्य भी चलते हैं। सर्व प्रथम हम

गाड़ियों के चलने के नियमों को लेते हैं। सवारियों को एक तरफ़ रहना चाहिए। फलस्वरूप आने वाली गाड़ी एक तरफ़ होगी, और जाने वाली एक तरफ़। भारतवर्ष में बाईं तरफ़ चलने का नियम है। कुछ देशों जैसे अमरीका आदि में दाईं तरफ़ चलने की प्रथा है।

यदि अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी के आगे ले जानीं हो तो सदा दाईं तरफ़ से ले जानी चाहिए। नहीं तो टक्कर लगने की बहुत सम्भावना है।

भीड़ के स्थानों पर चाल सर्वदा कम रखनी चाहिए। मोड़ पर चाल को अवश्य ही कम कर देना चाहिए। कहीं-कहीं चाल के लिए बोर्ड लगे रहते हैं। बोर्ड पर लिखी हुई चाल के अनुसार गाड़ी चलानी चाहिए। चौराहे पर सिपाही खड़ा रहता है, वहां पर चारों दिशाओं से आकर सड़कें मिलती हैं। इसलिए ऐसे स्थानों पर टक्कर का बड़ा भय रहता है। सिपाही संकेतों द्वारा बहुत सहायता करता है। सिपाही के संकेतों को ध्यानपूर्वक देख कर गाड़ी को चलाना चाहिए। सिपाही एक बार में एक तरफ़ का रास्ता बंद कर देता है और दूसरी तरफ़ का खोल देता है।

गाड़ी को चलाना आरम्भ करते हुए हार्न बजाना चाहिए। जहां कहीं भी गाड़ी को मोड़ना हो वहां पर हार्न अवश्य ही बजाना चाहिए। भीड़ में भी हार्न बजाना

आवश्यक है। गाड़ी का ब्रेक सर्वदा ठीक होना चाहिए। जिससे आवश्यकता पड़ते ही गाड़ी को रोका जा सके। जिधर भी गाड़ी मोड़नी हो उधर हाथ दिखा देना चाहिए।

रात के समय आगे और पीछे दोनों तरफ का प्रकाश ठीक होना चाहिए। परन्तु किसी और गाड़ी के निकट आते ही रोशनी कम कर देनी चाहिए, नहीं तो आंखों में चकाचौंध हो जाने के कारण टक्कर लग जाना सम्भव है।

बड़े नगरों में सड़कों पर सफेद रंग की लाइन पड़ी रहती है। वह मोटर और तांगे के रास्तों को अलग-अलग बांटती हैं। सर्वदा तांगे वालों को अपने रास्ते पर और मोटर वालों को अपने रास्ते पर चलना चाहिए। कितनी ही बार गाड़ीवाले होड़ लगा देते हैं, कि किस की गाड़ी पहिले पहुंचेगी, यह बहुत हानिप्रद है। इससे गाड़ी पेड़ आदि से टकरा जाती है। गाड़ी हमेशा संभाल कर चलानी चाहिए। सड़क पर कभी होड़ नहीं लगानी चाहिये।

मोड़ को बहुत सावधानी से मोड़ना चाहिये, पीछे अवश्य देखना चाहिये।

पैदल चलने के नियम

(१) पैदल चलने वालों को सदैव पटड़ी पर चलना चाहिये। यदि पटड़ी न हो तो सड़क के किनारे चलना चाहिये।

(२) सड़क को पार करते समय सामने की ओर तथा दाईं-बाईं ओर देख कर चलना चाहिये। जब सड़क पर कोई तांगा, मोटर न हो अथवा काफ़ी दूरी पर हो तभी सड़क पार करनी चाहिये।

(३) चौराहे पर चलते समय विशेष ध्यान रखना चाहिये। जब सिपाही तुम्हारी तरफ़ वाली मोटरों का रास्ता खोले, तब तुम भी किनारे-किनारे चल कर शीघ्रता से सड़क पार कर लो।

(४) यदि कहीं चौड़ी सड़क पार करनी हो तो बड़ी चतुराई और सावधानी से पार करनी चाहिये।

दिल्ली में कहीं-कहीं भीड़ के स्थानों पर सड़कों की चौड़ाई पर सफेद-सफेद लहरदार धारियां पड़ी रहती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि इन धारियों के बीच में सड़क पार करते हुए चलने पर प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। नियम के अनुसार मोटर, तांगे तथा साइकिल चलाने वालों को स्वयम् ही वहां पर आकर ठहर जाना

पड़ता है जब पैदल चलने वाले सड़क पार कर लेते हैं तभी वे आगे बढ़ सकते हैं।

(५) यदि दोनों ओर से तांगा अथवा मोटर आ रही हो और तुम सड़क के बीच में फँस गए हो तो वहीं सड़क पर खड़े हो जाओ। इधर-उधर भागने की चेष्टा न करो। जिस से ड्राइवर तुम्हें देख ले।

(६) पैदल चलने वालों को सदैव बाँईं ओर चलना चाहिए।

(७) सड़क पर चलते हुए कभी छिलके, कूड़ा तथा शीशा आदि नहीं फेंकना चाहिए। केले के छिलके से तो कभी-कभी बड़ी भीषण दुर्घटनाएँ घटित हो जाती हैं। मोटर साइकल और घोड़े का पैर तक भी रपटते हुए देखा गया है।

(८) सड़क पर कभी इधर-उधर थूकना नहीं चाहिए। थूकने से रोग फैलते हैं।

यदि हम सड़क पर चलने के नियमों का ध्यान रखें तो नित्य-प्रति घटित होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या बहुत कम हो जाए।

गौ माता

"हे गौ माता ! जिसका शरीर दुर्बल हो गया है उसे तुम अपने दूध और घी से पुष्ट कर सुन्दर और बलशाली बना देती हो। अतः, तुम सब घरों में कल्याण की सृष्टि करो। मैं सबके समक्ष तुम्हारा यशो-गान करता हूँ।"

—अथर्व-वेद

गौ वास्तव में हमारी माता है।

हमारे देश में प्राचीन-काल से गौ को माता माना जाता रहा है। वास्तव में गौ है भी माता ही। जब मां बच्चे को दूध पिलाने में अशक्त हो जाती है अथवा आरम्भ से ही बच्चे की मां को दूध नहीं मिल पाता तो गाय का अमृत सदृश-दूध बच्चे को मां के दूध के सदृश ही जीवन-दायिनी शक्ति तथा स्फूर्ति देता है। मां का दूध केवल एक वर्ष तक ही पिया जा सकता है, परन्तु गौ माता हमें जीवन पर्य्यन्त मीठा दूध पिलाती है।

गाय का दूध अत्यन्त स्वादिष्ठ होता है। उसके बिना हमारी रसोई सूनी है। दही, मट्ठा, मक्खन, पनीर, मिठाई सभी कुछ गाय के दूध से बनाया जाता है। दूध तो भैंस

भी देती है परन्तु उसका दूध मस्तिष्क को तीव्र करने वाला और स्फूर्तिदायक नहीं होता। यह अन्तर गाय के बछड़े और भैंस के कटड़े को देखने से तुरन्त पता चल जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो भैंस का दूध हानिकारक भी है। वह वायु को बढ़ाता है।

आर्यों ने पांच माताएं मानी हैं—जन्म देने वाली माता, गौ माता, गंगा माता, पृथिवी माता और गायत्री माता। परन्तु उनका विश्वास था कि गौ माता इन पांचों माताओं से श्रेष्ठ है। मां के समान अपने पवित्र दूध से बच्चे का पालन-पोषण करने वाली, गायत्री के जाप और गंगास्नान के समान अपने दुग्ध-पान से ही समस्त पापों को नाश कर सत्त्वगुणी भावों की सृष्टि करने वाली और अपने बछड़ों के द्वारा धरती माता को हरी-भरी बना कर देश में सुख-समृद्धि की वृष्टि करने वाली गौ माता वास्तव में हमारी माता है।

आर्थिक-दृष्टि से गाय का महत्त्व

हमारे लिए आर्थिक-दृष्टि से भी गाय का महत्त्व कम नहीं है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है। यहां के अधिकांश अथवा यों कहिए ८० प्रतिशत व्यक्ति ग्रामों में निवास करते हैं, और खेती के द्वारा अपनी जीविका-निर्वाह करते

हैं। गाय उनके लिए धन की वृष्टि करने वाली कामधेनु है। उसके बछड़े ही एक दिन बैल बनते हैं जिनके द्वारा वह हल चलाना, रहट चलाना, अनाज को मंडी में ले जाना आदि सभी कार्य्य करते हैं। अनुमान किया जाता है कि भारत में खेती के द्वारा २००० करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी होती है। १००० करोड़ रुपए की आमदनी दूध और घी के द्वारा होती है। आर्थिक दृष्टि से गाय के पालने में भैंस से अधिक लाभ रहता है। दूध देने में भी उत्तम गाय की उत्तम भैंस से कभी तुलना नहीं की जा सकती।

गांधी जी की अंगरेज़ शिष्या मीरा बैन ने अपने ग्राम पशुलोक में एक (स्कीम) बनाई है और उसमें उन्होंने प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बिना दूध देने वाली गाय का खर्च भी उसकी आय से ही पूरा हो जाता है। उन्होंने वहां पर ४०० ऐसी गौएँ रखी हुई हैं। उनके गोबर और मूत्र के खाद, बछड़े और मृत्यु पर प्राप्त होने वाले चमड़े और हड्डी से ही उनका खर्च पूरा हो जाता है।

अब हमारी राष्ट्रिय सरकार है। बहुत से प्रान्तों में गो-वध का निषेध आर्थिक दृष्टि से ही कर दिया गया है।

सर्वोदय-समाज ने इस ओर सराहनीय ध्यान दिया है।

बनस्पति घी के विरोध में उन्होंने कितने ही व्यक्तियों की सम्मतियां एकत्रित कर ली हैं। वनस्पती घी ने हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य का नाश कर दिया है। जिसके फलस्वरूप उनमें परिश्रम करने की शक्ति का अभाव हो गया है जिसका प्रभाव देश की आर्थिक दशा पर भी पड़ रहा है।

गाय की और अधिक उपयोगिता

गाय का गोबर तक भी हमारे लिए बहुत लाभप्रद है। इसके लेपन से अनेक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गांव के कच्चे घर इसी से स्वच्छ किये जाते हैं। खाद के लिए गोबर बहुत उपयोगी है। उपले बनाकर उन्हें जलाने की प्रथा हमारे यहां है। परन्तु आर्थिक दृष्टि से यह हानिकारक है। गाय मर कर भी मनुष्य की सेवा करती है। उस का चमड़ा और हड्डियां बहुत-सी वस्तुएँ बनाने के काम में आते हैं।

गौओं का ह्रास

यों तो हमारे यहां गाय की बहुत पूजा की जाती है गोपाष्टमी और गोवर्धन आदि त्यौहार भी मनाये जाते हैं। परन्तु सच तो यह है कि अब वे दिन बीत गये जब

वास्तव में भारत में गौ की पूजा होती थी और जब कृष्ण भगवान् स्वयम् गौएँ चराया करते थे। अब तो हम कहने मात्र के लिए गौ माता के पुजारी हैं। कारों को उड़ाए फिरने वाले कितने धनी-मानी व्यक्ति गाय रखना पसन्द करते हैं ?

उत्तम डेरियों(दुग्ध-शाला) का सर्वथा अभाव है। गोविषयक ज्ञान भी जन-साधारण को बहुत ही कम है। इस प्रकार की पुस्तकें हमारी राष्ट्र-भाषा में बहुत ही कम मिलती हैं, जब कि अन्य-देशों में इस विषय पर साहित्य भरा पड़ा है।

गो-वंश के सुधार के विषय में भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित बातों पर पूर्ण ध्यान दिया जाए—

(१) गो-पालन को प्रोत्साहन देना।

(२) अच्छी नसल के साँड तय्यार करना।

(३) सांडों के लिए केवल अच्छे बछड़े रखे जाएँ।

(४) अच्छे चरागाह तथा चारे का प्रबन्ध।

(५) गाय को अच्छा खाना—बिनौला, चरी, चना, छानस, हरी घास और खल आदि देना।

(६) गो-चिकित्सा का उपयुक्त प्रबन्ध करना।

(७) प्रदर्शिनियों द्वारा अच्छी गौओं का प्रोत्साहन।

(८) ग्रामों में गौ पर लिखे हुए साहित्य का वितरण।

इस प्रकार हमारे यहां गो-वंश में सुधार किया जा सकता है।

गाय प्रेम को पहिचानती है। प्रेम से रखने से और घूमने ले जाने से उसका दूध बढ़ जाता है। मारने से गाय बहुत दुःख मानती है और दूध कम देने लगती है। हमारे यहां सिन्ध की गाय सर्व-श्रेष्ठ होती थीं। परन्तु सिन्ध अब पाकिस्तान में है। हरियाना की गाय भी अपने दूध, सफेद बर्फ से रंग और चुलबुलेपन के लिए प्रसिद्ध हैं। मुदनी गाय २३ सेर ५ छटांक प्रतिदिन दूध देती है। गीर नस्ल की गाय १७ सेर ८ छटांक दूध प्रतिदिन देती है। धन्नी बैल बड़े चुलबले होते हैं।

गाय की पहचान

अच्छी गाय में दो जरूरी बातें हैं—अच्छी गठन और अधिक चारा खाने की शक्ति।

अच्छी गाय की टांगें ऐसी होनी चाहिएँ जो नीचे एक वर्ग सा बनाएं और आराम से खड़े होने पर दूर दूर

रहें। गाय हृष्ट-पुष्ट और स्फूर्ति वाली होनी चाहिए। बैल के से सिर वाली, सिर झुकाकर थकी सी खड़ी होने वाली दुर्बल रोगी गाय को कभी नहीं खरीदना चाहिए।

दूध का दुहना

दूध का दुहना भी एक कला है। दूध में कीटाणु शीघ्र प्रविष्ट हो जाते हैं। हाथ धोकर साफ वर्तन में थनों को साफ करके दूध दुहना चाहिए।

दुहाई सदा नियमित समय पर होनी चाहिए।

बिना बछड़े के भी यदि दूध दुहना हो तो दूध की कुछ धार नीचे डाल देनी चाहिएँ जिससे दूध में कीटाणु न आने पाएँ।

प्रथम दुहे दूध में १·२० मक्खन का अंश होता है अन्तिम धारों में १०·०० मक्खन का अंश होता है इस लिए अन्त में बछड़े को दूध नहीं पिलाना चाहिए।

दुहने वाले की बदली होना गाय को अच्छा नहीं लगता। अच्छे दुहने वाले को गाय अधिक दूध देती है। डॉ. क्रोयर ने अपने प्रयोग के द्वारा यह बात सिद्ध कर दी है। अच्छे दूध निकालने वाले के दूध में मक्खन भी

अधिक होता है। जल्दी और देर की दुहाई में भी अन्तर है। जल्दी की दुहाई में १० प्रतिशत दूध और ३० प्रतिशत मक्खन अधिक पाया गया है।

दूध की कमी

आज के दिन गाय की अच्छी नसल न रहने के कारण हमारे देश में घी, दही, दूध का अभाव और महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है। फ़िनलैण्ड में जब प्रत्येक व्यक्ति प्रति दिन ६३ पौंड दूध खर्च करता है, हमारे देश में केवल ७ पौंड की औसत है। ग्रेट ब्रिटेन में ३९ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ३५ पौंड की औसत पड़ती है। ये आंकड़े १९४१ के हैं। आज के दिन भी दशा में विशेष सुधार नहीं दिखाई देता।

अब हमारी राष्ट्रिय-सरकार है। हमें पूर्ण आशा है कि वह गो-वंश की वृद्धि और उसके सुधार पर पूर्ण ध्यान देगी।

——

भारत को प्रकृति की देन

प्रकृति को हमारे यहां "अभीष्टवरदायिनी देवी" माना गया है। मनुष्य की मूलावस्था में प्रकृति ही उसकी एकमात्र सच्ची सहचरी थी, जिसने उसके जीवन की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। आज के सभ्य कहे जाने वाले प्राणी के लिए भी प्रकृति का महत्त्व ज्यों का त्यों बना हुआ है। बिना प्रकृति की सहायता के एक क्षण के लिए भी उसका काम चल नहीं सकता। प्रकृति का अक्षय भण्डार उसके लिए सदा खुला है। वह उस पर अनन्त भेंटों की वृष्टि सदा से निरन्तर करती चली आ रही है। यह सुविस्तीर्ण गगन, यह इठलाता हुआ समीर, यह विशाल भूमि, यह अपार, असीम जलराशि और तेजोमयी अग्नि—इन पंच-तत्त्वों के बिना सृष्टि की रचना असम्भव ही है और ये सब प्रकृति की ही सब से बड़ी देन है। मूल कारण ये ही पंच-तत्व हैं। प्रकृति अनादि है और अनंत है। ये सुन्दर वृक्ष-लतायें, ये लहलहाते हुए खेत, ये सघन वृक्ष-निकुञ्जें, बीहड़ वन, सागर-सरिता, कुएं, नदी-नद, ताल, ये सुन्दर बर्फ़ से ढकी हुई पर्वत-श्रेणियां, तरह तरह

के स्रोत एवं निर्झर, मुस्कराता हुआ चन्द्रमा, ज्योतिर्मय सूर्य, अठखेलियां करता हुआ पवन ये सब उसी प्रकृति माता की अमूल्य देन हैं।

विज्ञान की शक्ति अपना चमत्कार तभी प्रकट कर सकती है, जब प्रकृति ने अपने अक्षय भण्डार की प्रयोग-शाला उसे समर्पित कर दी है। उसी के सहारे वह भाप विद्युत् शक्ति आदि पर विजय प्राप्त कर वैज्ञानिक कहलाने लगा है। परन्तु एक छोटी से छोटी चीज, यहां तक धूलि-कण के लिए भी वह प्रकृति के ही आश्रित है। रेत और मिट्टी के सदृश हेय कहे जाने वाले पदार्थों के बिना भी मानव-जीवन कठिन हो उठता है। वनों में भी हमारे लिए सम्पत्ति का असीम कोष भरा पड़ा है। हमारे पशु-संसार का जीवन वनों पर ही अवलम्बित है। लकड़ी के बिना हमारा काम भी नहीं चल सकता। पृथ्वी की उपज बढ़ाने के लिये वनों का होना अवश्यंभावी है। खस, सींकें, वान तथा यहाँ तक कि सिल्क का कपड़ा, तेल आदि अनेक वस्तुएँ बनाने के लिए हमें वनस्पति-संसार की ही शरण लेनी पड़ती है।

प्रकृति की इस अनुपम देन का लाभ उठा कर अपने बुद्धि-बल के सहारे मनुष्य ने सर्व-प्रकार के खान-पान तथा

रहने की सुविधा प्रकृति के द्वारा प्राप्त कर ली है। आज प्रकृति भाँति-भाँति के फल-फूल लेकर उसका निरन्तर स्वागत करती रहती है। वह उस की दुःख-सुख की चिर-संगिनी है।

प्रकृति के इस खुले हुए भण्डार से तो सभी परिचित हैं। अतः, अब हम पृथ्वी के छुपे हुए कोष पर ही केवल प्रकाश डालेंगे। पृथ्वी के नीचे छुपी हुई इन वस्तुओं को खनिज पदार्थ कहा जाता है और जहाँ ये पाई जाती हैं वे खानें कहलाती हैं। ये ही खनिज-पदार्थ शक्ति का उद्गम हैं। इन्हीं के द्वारा सब मशीनें बनाई जाती हैं और चलती हैं।

प्रकृति ने ये सब वस्तुएँ समान रूप से सब स्थानों को नहीं दी हैं। किसी स्थान पर ये वस्तुएँ अधिक पाई जाती हैं और कहीं कम। जिस देश में जितने अधिक खनिज पदार्थ होते हैं वह देश उतना ही अधिक धनाढ्य होता है। हमारे देश में भी खनिज-पदार्थों का अभाव नहीं है। हमारे यहाँ २८ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आमदनी केवल खनिज-पदार्थों से है और तीन लाख से अधिक व्यक्ति इन खानों में काम करके अपनी जीविका निर्वाह करते हैं।

कोयला—हमारे देश में बंगाल और बिहार में झरिया

आदि स्थानों पर कोयले की बहुत खानें हैं। दक्षिण में भी नई खानों का पता चला है। जितना कोयला हमारे देश में आज के दिन है वह दो सहस्र वर्ष तक के लिए पर्याप्त है।

जो वृक्ष सहस्रों वर्ष पहले भूमि में दब गये हैं, वही आज कोयले में परिणत हो गये हैं। हीरे और कोयले के मूल-तत्त्व (कार्बन) एक ही हैं। कोयला ईंधन, भाप, बिजली, कोलतार, रंग और दवाई बनाने के काम में आता है।

लोहा—लोहा भी हमारे यहां कम नहीं है। यह मिट्टी में मिला हुआ पाया जाता है। गर्म करके तथा पिघला कर इसको वास्तविक शुद्धरूप में कर लिया जाता है। इस की ही फौलाद बनती है,। फ़ौलाद सब मशीनों के बनाने में काम आती है। यह भी बंगाल और बिहार में ही मिलता है।

मैगनीज़—रूस को छोड़ कर यह केवल भारतवर्ष में ही सब से अधिक पाया जाता है। मैगनीज़ को लोहे में मिला कर फ़ौलाद तय्यार की जाती है। यह रंगने तथा दवाई बनाने के काम में भी आता है।

अबरक—यह धातु बिजली के यन्त्र बनाने के काम

में आती है। यह जितनी भी संसार में पाई जाती है उसका $\frac{2}{3}$ भाग भारत में मिलता है।

तांबा, टीन अल्यूमीनियम—आदि और धातुएं भी हमारे देश में पाई जाती हैं। जिनसे बर्तन, हवाईजहाज़ तथा बिजली के यन्त्र आदि बनाए जाते हैं।

सोना, चांदी—हमारे देश में सोने, चाँदी की खानों की भी कमी नहीं है। सोना और चाँदी अमूल्य धातुएं हैं। जिस देश में जितना अधिक सोना होता है वह देश उतना ही अधिक वैभवशाली होता है।

धातुओं के अतिरिक्त बहुत प्रकार के नमक शोरा आदि भी पृथिवी के नीचे ही छुपे हुए हैं। शोरे से खाद बनाई जाती है और यह औषधियों के भी काम आता है। और भी जितनी प्रकार के नमक हैं वे भी चमड़ा, काग़ज़, शीशा तथा साबुन आदि बनाने के काम में आते हैं।

पैट्रोल और मिट्टी का तेल—ये भी भूमि में ही पाये जाते हैं।

गन्धक—यह सब उद्योग-धंधों का प्राण है। यह कीटाणुनाशक है। रबड़ इसके द्वारा मज़बूत बनाया जाता है। यह वस्त्रादि को सफेद करने के काम में आता है।

गन्धक का तेज़ाब—गन्धक से गन्धक का तेज़ाब बनाया जाता है जो बहुत ही उपयोगी है।

भारतवर्ष में अन्य खनिज-पदार्थ तो यथेष्ट मात्रा में होते हैं, परन्तु गन्धक और पैट्रोल कम मात्रा में पाया जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सब वस्तुएँ हमारे ही देश में हों।

मोती—मोती समुद्र से निकाले जाते हैं।

परतन्त्र भारत के उन्नति के सब द्वार बन्द थे। स्वतन्त्र भारत में यद्यपि अभी तक खनिज-पदार्थों के अन्वेषण का कार्य पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हो पाया है तथापि विश्वास है कि हमारी वसुन्धरा में खनिज-पदार्थों तथा रत्नों का अक्षय भण्डार छुपा पड़ा है। हमारी सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट हुआ है। वह दिन दूर नहीं है जब नई-नई खोजों के द्वारा हमारा भारत प्रकृति की अमूल्य देनों का लाभ उठा सकेगा और एक बार फिर समुन्नत राष्ट्रों के समकक्ष सम्मान पूर्वक खड़ा हो सकेगा।

बिजली

वर्तमान युग विज्ञान का युग है। आधुनिक विज्ञान के चमत्कार हमें असमंजस में डाल देते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति की कितनी ही शक्तियों को वश में कर लिया है।

आधुनिक विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट आविष्कार बिजली है। विज्ञान के प्रायः सभी क्षेत्रों में बिजली एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। मनुष्य के दैनिक जीवन में भी इस की उपयोगिता कम नहीं है। इसी शक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग में लाकर वैज्ञानिकों ने अनेकानेक नये आविष्कार किये हैं। जिस से मनुष्य का जीवन कहीं अधिक सुखमय हो गया है। आजकल बिजली हमारे जीवन का आवश्यक अंग हो गई है।

दैनिक जीवन में बिजली का प्रयोग

हम अपने दैनिक जीवन में बिजली का विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं। लालटैन, तेल के दिये तथा लैम्प आदि के स्थान पर अब केवल बटन दबाते ही सारे कमरे

में उजाला कर लेते हैं। कितना भी विस्तृत क्षेत्र क्यों न हो हम बड़ी सरलता से थोड़ी ही देर में उस स्थान को आलोकित कर सकते हैं। बिजली के चूल्हे, अंगीठी, दूध तथा पानी गरम करने के यन्त्र (हीटर), बिजली के पंखे, कपड़ों पर लोहा करने के लिये इस्त्री, शेविंग का सामान; बैट्री; कपड़ा सीने की मैशीन, गर्मियों में चीजें आदि ठण्डी करने के लिए रैफ्रीजैरेटर आदि कितनी ही चीजें हम उपयोग में लाते हैं। जिन से हमारा कार्य अत्यन्त सुगमता तथा शीघ्रता से हो जाता है।

बिजली के द्वारा टैलीफोन का आविष्कार हो गया है। जिसके द्वारा हम घर बैठे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इस से व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है। प्रायः सभी बड़े शहरों में टैलीफोन लगे होते हैं। परन्तु जहाँ पर टैलीफोन नहीं होते वहाँ पर तार द्वारा हम कुछ ही समय में सूचना भेज सकते हैं।

रेडियो तो बिजली का एक अनुपम आविष्कार है जिस को देख कर हम चकित रह जाते हैं। घर बैठे ही इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जापान आदि सभी देशों का हाल और खबरें सुन लेते हैं। रेडियो ने यह सिद्ध कर दिया है कि समस्त ब्रह्माण्ड एक है। इस प्रकार सारे संसार के देश

एक दूसरे के निकट आ गये हैं। इस प्रकार रेडियो विभिन्न संस्कृतियों, आचार-विचारों, रीति-रिवाजों के आदान-प्रदान में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रहा है। शिक्षा और मनोरंजन के लिए भी रेडियो बहुत उत्तम साधन है।

टैलीविज़न इससे भी चमत्कारपूर्ण आविष्कार है। टैलीविज़न से बोलने के साथ-साथ बोलने वाले का चित्र भी हम देख सकते हैं।

सिनेमा भी बिजली की देन है। चित्रपट पर हम दूर के स्थानों, महत्त्वपूर्ण यात्राओं, खेलों तथा अभिनेताओं के अभिनय आदि के सजीव चित्र देख सकते हैं।

यातायात में बिजली का प्रयोग

आजकल ट्रेन और ट्राम को चलाने के लिए भी बिजली काम में लाई जाती है। लन्दन तथा बम्बई आदि में तो बहुतसी बिजली की ट्रेनें चलती हैं। देश के दूसरे भागों में भी बिजली की ऐसी ट्रेनें चलने लगेंगी। अभी तक बिजली के अभाव के कारण यह योजना पूरी नहीं की जा सकी। बिजली की ट्रेन चलाने में कम खर्च पड़ता है। मोटर, मोटर साईकल आदि में भी बैट्री का प्रयोग किया जाता है। बैट्री से बिजली बनाई जाती है।

बिना तार का तार

यह बिजली की एक चमत्कार पूर्ण देन है। बिना तार के ही इस यन्त्र द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएँ भेजी जा सकती हैं। इस यन्त्र को हम बड़ी सुगमता से कार, जहाज़ अथवा लड़ाई के मैदान आदि में अपने साथ रख सकते हैं। हवाई जहाज़ अथवा समुद्री जहाज़ में जाते हुए यदि कोई दुर्घटना घटित होने की सम्भावना हो और सहायता की आवश्यकता हो अथवा कोई और सन्देश भेजना हो तो केवल (वायरलैस) बिना तार के तार द्वारा ही भेज सकते हैं।

शक्ति के रूप में बिजली

बिजली की शक्ति अद्‌भुत है। छोटी से छोटी मशीन से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन प्रायः बिजली से चलाई जाती हैं। यदि बिजली न होती तो इन विशालकाय मशीनों का चला सकना मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात थी। सैंकड़ों मनुष्य जिस कार्य को कई मास लगा कर कठिनता से कर पाते हैं उसी कार्य को ऐसी एक मशीन कुछ ही घण्टों में कर डालती है।

कपड़ा, सीमैन्ट, काग़ज़, मोटर, साइकल, छापाखाने,

खांड, आटे की मिल सभी प्रकार की मशीनरी आदि के कारखाने बिजली की शक्ति से ही चलते हैं।

बिजली न केवल मशीनों को ही चलाती है, अपितु उनके बनाने में भी यह आवश्यक साधन है। कठोर से कठोर धातु लोहा, फौलाद, ताम्बा आदि को बिजली द्वारा पिघलाया, काटा और जोड़ा जाता है। बिजली के ही द्वारा आभूषणों तथा बर्तनों पर सोने, चांदी, निकल आदि की पालिश की जाती है।

चिकित्सा में बिजली का प्रयोग

आजकल बिजली द्वारा मनुष्यों के कितने ही रोगों की चिकित्सा की जाती है। ऐक्सरे फोटो से शरीर के भीतर का चित्र लिया जाता है। जिससे शरीर की अदृश्य बीमारियों का भी पता चल जाता है। कुछ आपरेशनों में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। कुछ रोगों को दूर करने के लिए तो शरीर में बिजली गुजारी जाती है।

खेती में बिजली का प्रयोग

हमारा देश कृषि-प्रधान है। अस्सी प्रतिशत जनता को अपने निर्वाह के लिये कृषि पर ही रहना पड़ता है। जिस भूमि में नहरों का पानी पर्याप्त नहीं होता वहां पर कुओं

में बिजली का इञ्जन लगाकर सिंचाई की जाती है। अन्य देशों में तो बिजली की इतनी अधिक उन्नति हो गई है कि फसलों को पकाने के लिए जिस प्रकार की गर्मी (टेम्प्रेचर) आवश्यक होती है उसको बिजली के द्वारा स्थायी रखा जाता है। जिस से फसलें शीघ्र तथा अच्छी पकती हैं। और उपज बहुत अधिक बढ़ जाती है। जिस देश में जितनी अधिक बिजली की खपत है वह देश उतना ही समृद्धि-शाली समझा जाता है। अमरीका इसी कारण समृद्धि-शाली देश है। हमारे देश में तो बिजली दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। गाँवों का तो कहना ही क्या, बहुत से नगरों में भी अभी तक बिजली नहीं पहुँचने पाई है। अन्य देशों का दैनिक जीवन तो बिजली की अधिक उत्पत्ति के कारण बहुत ही सुखमय हो गया है। अब हमारी सरकार भी देश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाने की पूरी चेष्टा कर रही है। इस के लिए बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बन रही हैं। इसीलिए भारत में भाखड़ा तथा नंगल आदि जैसे बड़े-बड़े कई बाँध बन रहे हैं। बाँध बनाने में हमारे यहाँ कठिनाई नहीं है, क्योंकि यहां ऐसे पर्वतों का अभाव नहीं हैं जहां से पानी ऊंचाई से गिरता है और प्राकृतिक स्रोत असाधारण शक्ति को हृदय में छिपाये हुए प्रवाहित

होते हैं। जिस दिन हमारी सरकार की योजनाएँ पूरी हो जाएँगी, हमारे गांव सुख-समृद्धि से और धन-धान्य से परिपूर्ण हो जाएँगे। बिजली के जो लाभ आज नगर-निवासी उठा रहे हैं, वह सब गांव वाले भी उठाएँगे। बिजली इतनी अधिक सस्ती हो जाएगी, कि किसी भी व्यक्ति को उसे प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी और घरेलू उद्योग-धन्धों में भी उसका उपयोग होगा। हमें पूर्ण आशा है, कि निश्चय ही वह दिन शीघ्र आएगा।

आकाशवाणी

आज हम तुम्हें आकाशवाणी की जबानी आकाशवाणी स्टेशन की सैर कराते हैं। अच्छा सुनो तुम्हें मालूम है कि आकाशवाणी स्टेशन किस जगह स्थित है। कुछ को शायद न भी पता हो कि यह कहां पर है। लो हम बताएँ यह है नई दिल्ली में पार्लियामैन्ट स्ट्रीट पर। जब हम पार्लियामैन्ट स्ट्रीट पर जाकर आकाशवाणी स्टेशन की इमारत के पास पहुँचते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह इमारत बी (B) की शक्ल की बनी हुई है। इस में तीन मंजिलें हैं। सब से नीचे दफ्तर और स्टूडियो है, दूसरी मंजिल में हैड्क्वार्टर और तीसरी मंजिल में बड़े अफसरों के कमरे हैं।

अब हम बाहर के दरवाजे से भीतर आकर आकाशवाणी स्टेशन में पहुँचते हैं। सब से पहिले हम एक बड़े गोल कमरे में पहुँचते हैं। यहां पर से सब तरफ को रास्ता जाता है। सामने ही सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर हैडक्वार्टर और अफसरों के कमरों की ओर को हमें ले जाती हैं। जब

हम इस गोल कमरे में खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो सामने ही ८-१० सीढ़ियों के ऊपर दीवार पर भारत का मानचित्र दिखाई पड़ता है। इस में हरे, लाल और नारंगी रंग की बत्तियां लगी हुई हैं। सोच रहे हो कि यह बत्तियां किस लिए हैं ? देखो अभी बताते हैं। इस मानचित्र पर बत्तियों द्वारा देश के आकाशवाणी स्टेशनों के चिन्ह हैं। वे स्टेशन हैं—दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। हरी बत्तियां दूसरे छोटे स्टेशनों को बताती हैं। जैसे—शिलांग, नागपुर, धारवार, कालीकट, अहमदाबाद और इलाहाबाद आदि आदि। ये जो दो बत्तियां नारंगी रंग की हैं यह है आकाशवाणी काश्मीर। ऊपर की बत्ती श्रीनगर का चिन्ह है और नीचे की बत्ती जम्मू का।

सीढ़ियों के ऊपर वाली दीवार पर बापू का सन्देश लिखा है। चारों ओर दीवारों के साथ कौच लगे हुए हैं, ये हैं लोगों के बैठने के लिए। और इसके एक ओर बाईं ओर की एक लकड़ी का कटहरा सा बना हुआ है। इसके पीछे रिसेप्शनिस्ट बैठता है। उसके द्वारा यहाँ पर आने-जाने वालों को यहाँ के विषय में हर प्रकार की सूचना मिल सकती है। अब सामने जो दरवाज़ा है उसके सामने ही स्टूडियो दिखाई पड़ता है। चलिये अब स्टूडियो के

अन्दर चलते हैं। यह लीजिए स्टूडियो का दरवाजा आ गया। अब हम अन्दर पहुँचते हैं। सामने ही खां साहब अब्दुलकरीम का बुत रखा हुआ है। यह हीराबाई बड़ोत्कर के पिता हैं। इस बुत के बाईं ओर स्टूडियो के पाँच कमरे हैं उनके नम्बर हैं १.२.३. ११ और ईफैक्टस् का स्टूडियो। बुत के दाईं ओर हैं नम्बर ४.५.६.७.८.९ और १०। ये तो वे कमरे हैं जिनके अन्दर से आदमी जब बोलते हैं तो उनकी आवाज़ आप के आकाशवाणी पर आ जाती है। ११ नम्बर के स्टूडियो से रिकार्ड बजाये जाते हैं। आप जो प्रोग्राम बुध को साढे आठ बजे सुनते हैं या शनिवार का फरमाइशी प्रोग्राम या और कोई रिकार्डों का प्रोग्राम वह सब अधिकतर इसी स्टूडियो से सुनाया जाता है। स्टूडियो के कमरों की दीवारों में छेद हैं। जिनके द्वारा आवाज़ की गूंज बाहर नहीं जाती है। हरेक स्टूडियो के साथ दो-दो कमरे हैं जिनमें से एक "अनाउन्सर्स बूथ" कहलाता है और दूसरे में प्रोग्राम के समय इंजीनीयर बैठता है। जो "इंजीनीयर्स बूथ" कहलाता है। उसमें से अनाउन्सर बैठ कर पहिले यह बताता है कि अब आप अमुक व्यक्ति से अमुक चीज़ सुनेंगे।

अब हम पहले दाईं ओर से भीतर की ओर चलते

हैं। सब से पहिले चार नम्बर के स्टूडियो में हम पहुँचते हैं। चार नम्बर के स्टूडियो में बहुत से साज रखे हुए हैं। उन्हें देख कर हम समझ लेते हैं कि यहां से गाने ब्राडकास्ट किए जाते हैं। चार के बराबर में स्टूडियो पाँच है। इसमें से ड्रामे ब्राडकास्ट होते हैं। इसके सामने है स्टूडियो नम्बर आठ। इसमें से मन्त्रियों और दूसरे लोगों के भाषण ब्राडकास्ट होते हैं। आठ के बराबर में ७ और ६ नम्बर के स्टूडियो हैं। यहां से भी गाने ब्राडकास्ट होते हैं। केवल ६ नम्बर का स्टूडियो ऐसा बना हुआ है कि वहां से अगर ब्राडकास्ट किया जाय तो ऐसा लगता है मानों खुले मैदान से कोई बोल रहा है। इसके बाद हम दूसरे दरवाजे से निकल कर गैलरी में पहुँच कर बाईं ओर को चलते हैं। पहले स्टूडियो नं. ९ आता है। फिर उसके बराबर है नं. १०। इन दोनों स्थानों से खबरें ब्राडकास्ट की जाती हैं। अब हम वापिस लौटकर गैलरी में सीधे चलते हैं। रास्ते में कन्ट्रोल रूम है जिस के भीतर बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें हैं जिनके द्वारा यहां का प्रोग्राम कण्ट्रोल किया जाता है और आगे चलकर हम दाईं ओर दरवाजे से अन्दर चले जाते हैं और हमें ११ नं. का स्टूडियो दीखता है। इसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। ग्यारह

के सामने स्टूडियो नं. २। यहां से भी अधिकतर गाने ही ब्राडकास्ट होते हैं। उसके बराबर में है स्टूडियो नं. ३। तीन के सामने है स्टूडियो नं. १। इसमें से अधिकतर अंग्रेज़ी के ड्रामे, गाने और विशेष प्रोग्राम ब्राडकास्ट किये जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कवि-सम्मेलन। अब वापिस लौट कर फिर गैलरी में आ जाते हैं और दाईं ओर को चलते हैं तो ईफ़ैक्टस स्टूडियो में पहुँचते हैं। इस स्टूडियो से सब तरह की आवाज़ें हम सुन पाते हैं। जैसे घोड़े के चलने की, मोटर, तांगा, हवाई जहाज, इन सब की चलने की, बोलने की, रुकने की, चलाने की सब तरह की आवाजें हम सुनते हैं। समुद्र की लहरों की, समुद्र में जहाज या नाव चलने की या नदी में नाव चलने की या और भी जितनी तरह की आवाजें हो सकती हैं और जिन्हें हम अक्सर रेडियो पर ड्रामें में सुनते हैं वे सब यहीं से ब्राडकास्ट की जाती हैं। इसी स्टूडियो के बराबर में एक स्टूडियो है १२ नम्बर का। यहां पर रिकार्डों का टैस्ट किया जाता है और यहां से भी कई बार रिकार्डों का प्रोग्राम ब्राडकास्ट होता है। स्टूडियो के बीच में जो कन्ट्रोलरूम है उस से सारे स्टूडियो माइक्रोफोन द्वारा तार से जुड़े हुए होते हैं। जब प्रोग्राम स्टूडियो से चालू होता है,

तब कन्ट्रोलरूम में इंजीनीयर प्रोग्राम को एम्पमीफायर के द्वारा टेलीफोन लाइन की सहायता से ट्रांसमीटर तक पहुँचाते हैं। ट्रांसमीटर से प्रोग्राम आपके एरियल तक पहुँचता है, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनते हैं। तो यह थी रेडियो स्टेशन की सैर, जिसके द्वारा आपको यहां के विषय में काफी मालूम हो गया होगा।

